MR. CHAIRMAN: The hon. Member said that he was not going to refer to it. But he is referring to something which happened today while the other Members referred to something which happened yesterday. It is not fair before the calling-attention-notice is admitted and it comes up here, to discuss it.

SHRI S. M. BANERJEE: We are moving for the adjournment of the House under rule 340. We move for adjournment of this House to discuss this very important question. Under rule 340 we can adjourn the House to discuss this.

SHRI M. L. SONDHI: It is now in your hands.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं आप के माध्यम से वह यह कि आप इस सरकार को यह कहें कि जब पश्चिमी बंगाल विधान सभा में इस प्रकार की घटना हुई भी और हम यहां उस बारे में चर्चा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो कि पुलिस हाउस के अन्दर प्रवेश करे और सदस्यों को घसीट कर बाहर करे और केन्द्रीय सरकार चुप चाप बैठी रहे, यह तो एक तरह से संविधान की हत्या है।

MR. CHAIRMAN: It is not a question of sitting idle; you must bring the matter properly, through call attention notice . . . (*Interruption*).

श्री जार्ज फरनेन्डीज : सभापति जी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

MR. CHAIRMAN: The matter is not before the House and we cannot discuss it.

—

14.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं यह सभा प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 5) का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।

इस डेमोक्रेसी में यह शोभा नहीं देता कि जो काम हम अपनी पार्लियामेंट से कर सकते हैं उसके लिए हम अध्यादेश लाएं या आर्डिनेंस जारी करें। एक हुकुमत जो सात समुद्र पार की आकर यहां राज्य करती थी उसके लिए यह शोभा की बात थी लेकिन हमारी अपनी डेमोक्रेसी में, जहां कि हमें अपने कानून बनाने की आजादी है, यह बात शोभा नहीं देती। साढ़े सात महीने पहले रिपोर्ट आ चुकी थी और यह सरकार सोती रही, साढ़े सात महीने के पहले कुम्भकरण की निद्रा खत्म की जाती है। दुनियां के लोटस ईटर्स इतने लम्बे समय में जाग जाते हैं अहदी और आलसी भी जाग जाते हैं, लेकिन सरकार साढ़े सात महीने तक सोती रही। और इतना समय गुजरने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी से अध्यादेश निकलवाया।

मैं यह भी विश्वास दिला दूं कि राष्ट्रपति इस समय इनकी पार्टी के नहीं हैं, सारे देश के राष्ट्रपति हैं, आइन्दा वह किसी उतावले कदम के ऊपर हरगिज दस्तखत नहीं देंगे। वह भारत की जनता के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। वह किसी पार्टी के बनाए हुए नहीं हैं और कांग्रसियों को मोरल राइट नहीं है कि इन कुर्सियों पर बैठें। जो लीडर्ज हैं, जो लीडर आफ हाउस हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी, उन्होंने जिस कैंडीडेट का नाम पेश किया वह कैंडीडेट गिर गया और जिस कैंडीडेट

का नाम मैंने पेश किया था वह कैंडीडेट कामयाब हुआ। इसलिये इन्हें कोई कांस्टीट्यूशनल राइट नहीं है कि इन कुर्सियों पर बैठ सकें, इनको कोई मौरल अधिकार नहीं है कि इन कुर्सियों पर रह सकें। प्रैस आर्डिनेंस भारत के जनतंत्रवाद को एक चुनौती है। भारत के जनतंत्रवाद ने यह वायदा किया था Law is nothing but the will of the people expressed कानून इसलिये था कि जनता की आवाज को पहचाना जाय। नुमाइन्दों से पूछा जाय। जनता के जो नुमाइन्दे बैठे हुए हैं 500 से ज्यादा किसी से कुछ पूछा नहीं गया और जिस तरह अंग्रेज जो इन का आका है, जिस के मातहत यह बैठते हैं किया करता था उसी तरह यह सरकार कर रही है। जो अंग्रेज आज कामनवैल्थ में हमारी जड़ें काट रहा है उसी के ये मेम्बर बने हुए हैं और जिस तरह से अंग्रेज करता था उसी तरह से इन्होंने भी किया। यह भारत के संविधान के ऊपर एक कुठाराघात है। मैं मंत्री जी से यह दरख्वास्त करता हूं कि यह बिल इस लायक नहीं है कि इस को यहां लाया जाय। आपने ही निर्मित की थी समाचार भारती, उस का रिप्रजन्टेशन सरकार के सामने हैं, और समाचार भारती में डायरेक्टर साहब जो चाहते हैं वही होता है। डायरेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है। एडीटर जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता है उस एडीटर की कोई वैल्यू नहीं है उस का कोई व्यक्तित्व नहीं है, उस को किसी तरह की कोई मान्यता नहीं है। जिस तरह से डायरेक्टर प्रोप्राइटर चाहते हैं, उस तरह से अपनी कठपुतली बना कर उस को चला रहे हैं। हरगिज सरकार इस कानून को, काले कानून को इस सभा के पटल के ऊपर न लाये। बल्कि इस हाउस से वह बिल पास होगा जो कामप्रीहेंसिब होगा, जिसमें बुद्धिजीवी एडीटर के अधिकारों की रक्षा की जायगी, जिस में मामूली मनुष्य को मौका दिया जायगा कि जो सरकार चाहती है वह नहीं, बल्कि जो जनता चाहती है वह काम हो।

सरकार के चाहने से आज क्या हुआ? देशभक्त एलीमेंट जितना था सब पीछे पड़ गया है। प्रैस के ऊपर आज किस का कब्जा है? कुछ मुट्ठी भर सरमायेदारों का कब्जा है। सरकार चाहती है कि उन के चंगुल से निकले, लेकिन नहीं निकल सकती। जब तक प्रैस को बाकायदा पब्लिक के हाथ में नहीं दिया जायगा तब तक जो बुद्धिजीवी हैं उनको तंग किया जाता रहेगा और भारत के समाजवाद को कुचला जाता है।

सरकार के लिये सब से ज्यादा जरूरी यह है कि इस वक्त सरकार इस बिल को वापस ले और पब्लिक से पूछ करके, और पार्लियामेंट के मेम्बरान से पूछ कर के बाकायदा कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल लाया जाय जो जनता की जरूरियात को पूरी करता है यह बिल जनता की जरूरियात को पूरी नहीं करता है बल्कि सरकार की जरूरियात को पूराकिया जा रहा है। आज प्रैस में जरूरत है एड़ी से चोटी तक तबदीली लाने की। वह नहीं होता। आज भी प्रैस ट्रिलिटन जो आते हैं वह पहले अंग्रेजी में आते हैं और उस के बाद उनका तर्जुमा हिन्दी में होता है, जो भारत की राज-भाषा है उस को पीछे ढकेला जाता है और अंग्रेजी के अखबारों को बढ़ावा दिया जाता है। यह मत्स्य न्याय है। बड़े-बड़ जो प्रेस हैं, बड़े-बड़े जो अखबार हैं वह छोटे अखबारों को पनपने नहीं देते। अगर वाकई यह समाजवादी सरकार है तो वह तहैया करे, यह संकल्प करे कि सब से ज्यादा इस बात के ऊपर गौर किया जायेगा कि सरकारी विज्ञापन छोटे अखबारों को दिये जायें, छोटे प्रेस को दिये जायें, ताकि छोटे समाचार-पत्रों को पनपने का मौका मिले। जो डाइरेक्टर्स प्रोप्राइटर्स आज अन्धे होकर समाजवाद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो भारत के सच्चे प्रतिनिधियों को जनता के

[श्री यशपाल सिंह]

प्रतिनिधि भी कहने के लिये तैयार नहीं हैं, उन के बजाय छोटे पत्रों के हाथ में यह काम दिया जाय ।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब वह अपने विचार प्रकट करें जो काला कानून लाया गया है उस को जितनी मजम्मत हो सकती है वह करें ।

MR. CHAIRMAN: Resolution moved:

"That this House disapproves the Press Council (Amendment) Ordinance, 1969, (Ordinance No. 5 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 30th June, 1969."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Press Council Act, 1965, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Sir, I rise to a point of order. I would draw your attention to article 117(3) of the Constitution. I do not feel that this Bill, in which these defects occur, should be tolerated. This is a Bill which wants to replace an infamous ordinance which wants to perpetuate the constitution of the Press Council which has so far produced only two reports although it is there for more than three years, and we do not know of any other action by the Press Council so far.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): Except that they have occupied Mr. Shastri's house.

SHRI SRINIBAS MISRA: The article says:

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill."

We do not find any such recommendation to this House. When the Bill was introduced in the Rajya Sabha, this was the wording which was found in the Bill:

"The Chief Justice of India, Shri M. Hidayatullah, discharging the functions of the President has, in pursuance of clause 3 of article 117 of the Constitution of India, recommended the consideration of the Bill by the Rajya Sabha."

Here, when it was introduced, this Constitutional provision was not followed. If it was recommended for consideration by Rajya Sabha, where is the recommendation for considera tion in Lok Sabha?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore): Is it not enough if the recommendation is available for one House?

SHRI SRINIBAS MISRA: No. It must have the recommendation for both the Houses. I would again draw your attention to this provision:

"A Bill . . . . . shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill."

So, the recommendation was for consideration of the Bill by the Rajya Sabha. Where is the recommendation for consideration of the Bill by the Lok Sabha? This Bill cannot be considered and cannot be passed.

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friend unfortunately does not read the papers which are sent to him from the Lok Sabha Secretariat. If he had done so, he would have seen

the bulletin, Part II, dated 18th August, 1969, wherein under item No. 1301, it is said:

> "The Chief Justice of India, Shri M. Hidayatulla, discharging the functions of the President, having been informed of the subject matter of the Press Council (Amendment) Bill, 1969, as passed by Rajya Sabha, recommends under clause 3 of article 117 of the Constitution of India, the consideration of the Bill in Lok Sabha."

SHRI SRINIBAS MISRA: That is not correct. It is circulated in the bulletin. That is what he is reading. But where is it in the Bill? If it was circulated in the bulletin, it is not incorporated in the Bill itself. (*Interruption*) Please read it again. What is contained in the bulletin or newspapers cannot be taken into consideration. It must accompany the Bill. A newspaper publication that the President has consented or recommended for consideration of the Bill here will not do. Kindly see it again. The provision says:

> "A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House . . ."

Is it a recommendation to this House?

SHRI I. K. GUJRAL: Yes.

SHRI SRINIBAS MISRA: It is for our circulation. Is it the recommendation to this House? It must be recommended to this House.

SHRI I. K. GUJRAL: The very fact that it has been brought to the notice of the Lok Sabha is enough. The Lok Sabha Secretariat itself circulates it. What else does he mean? I think the hon. Member has lost his case and is now constructing his brief out of nothing.

MR. CHAIRMAN: The point of order is rejected.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Sir, the bulletin is only an account of something having been done elsewhere. The bulletin is not the kind of notice which my friend says is essential and I think he is right. The bulletin only announces that the President X or Y has done it. But has the President done it? How do we know?

MR. CHAIRMAN: I have given my decision. The point of order is rejected.

SHRI TENNETI VISHWANATHAM (Visakhapatnam): I hope you will give us your reasoning also.

MR. CHAIRMAN: If the Speaker is to give reasoning for every decision of his, I do not know where it will end.

SHRI SRINIBAS MISRA: Rule 2 gives the definition:

> '"Bulletin" means the Bulletin of the House containing (a) a brief record of the proceedings of the House at each of its sittings . . .'.

[Mr. Chairman] Rule 348 says:

> "Every sanction or recommendation by the President shall be communicated to the Secretary by a Minister in the following terms:—
>
> "The President having been informed of the subject-matter of the proposed Bill, motion demand for grant or amendment accords his previous sanction to the introduction of the Bill or the moving of the amendment or recommends the introduction of the Bill or the moving of the motion, demand for grant or amendment in the House or recommends to the House the consideration of the Bill."

[Mr. Chairman]

It shall be printed in the proceedings of the House in such manner as the Speaker may direct."

It has been printed in the Bulletin Part II.

SHRI TENNETI VISHWANATHAM: I do not think it applies to the present question.

MR. CHAIRMAN: If you are raising a point of order, you will have your say when the time comes for it. Now let us continue with the Bill before us.

SHRI I. K. GUJRAL: I have already moved the motion for consideration.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the Press Council Act, 1965, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Now both the resolution and the motion are before the House. Mr. P. C. Verma.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदय जो `स कांसिल (अमेंडमेंट) बिल, 1969 हाउस में पेश किया गया है, उसमें सिर्फ उसकी मियाद बढ़ाने की बात है क्योंकि चेयरमैन की मियाद मई, 1969 में खत्म हो रही थी और नवम्बर में मेम्बरों की खत्म हो रही थी। इसलिये इससे पहले अध्यादेश जारी किया गया। अब यह बिल मियाद ब ाने के लिये लोक सभा के सामने है। मेरे साथी श्री यशपाल सिंह ने कहा कि यह बिल पहले लाया जाना चाहिये था। इतनी देर तक सरकार को खामोश नहीं बैठना चाहिये था। मगर जिन हालात में यह देरी हुई है वह माननीय मंत्री जी स्वयं बतालायेंगे।

राष्ट्रपति के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है और क्लेम किया है वह उनके उम्मीदवार थे और वह बिलों पर दस्तखत नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के बारे में यहां यह कहना कि वह बिलों पर दस्तखत नहीं करेंगे हमारे कहने से नहीं करेंगे और आपके कहने से करेंगे, ठीक नहीं है। जनतन्त्र के अन्दर इस तरह की बात को सदन में नहीं कहना चाहिये था।

`स काउंसिल बिल के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि जो यह मांग की गई है कि इसकी मियाद `े 30 मार्च तक बढ़ा दिया जाना चाहिये, वह जायज मांग है और उसको मान लिया जाना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि तीस मा `के बाद दुबारा इस सदन में आप आयें और कहें कि मियाद को और ज्यादा बढ़ा दिया जाये। इस मियाद के खत्म होने के पहले मुकम्मिल बिल `स के काउंसिल के बारे में पेश हो जाना चाहिये। यह जो मुकम्मिल बिल है, इसके बारे में, मैं कुछ सजैशन देना चाहता हूं। और कंस्ट्रक्टिव सजैशंज `ना चाहता हूं। मैं अखबार नवीस और अखबारों की दुनिया को थोड़ा बहुत रिप्रिजेंट करता हूं।

मैं चाहता हू कि प्रेस काउंसिल को प्योरली प्रोफैशनल बा `े रखा जाये। जो भी विधान बनाया जाये, यह देखा जाए कि वह प्योरली प्रोफैसनल बाडी हो।

प्रेस कांउसिल को सिविल कोड के अखत्यारात होने चाहिये। प्रेस काउंसिल के सामने कई सचाल आयेंगे जिन में उसको एवीडेंस मांगना पड़ेगा। अगर कोई एवीडेंस देने के लिये तैयार नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस वास्ते प्रेस काउंसिल बिल के अन्दर यह बात आ जानी चाहिये

कि जब किसी भी व्यक्ति को हिन्दुस्तान के चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी एवीडेंस देने के लिये बुलाया जाए और कागजात केस के मुताल्लिक पेश करने के लिए कहा जाए तो ऐसा करना उसके लिये लाजिम हो, कम्पलसरी हो।

प्रेस काउंसिल बिल के अन्दर यह बात हर्गिज नहीं आनी चाहिये कि सोर्स आफ न्यूज है जो सोर्स आफ इनफार्मेशन है, उसको डिसक्लोज करने के लिए किसी एडिटर, जरनलिस्ट या संवाददाता को मजबूर किया जा सकता है। अगर ऐसी बात की गई तो इसका मतलब यह होगा कि प्रेस की जो आजादी है वह खत्म हो जाएगी और यह एक बहुत बड़ी पाबन्दी उनके ऊपर होगी इस वास्ते यह बात बिल के अन्दर नहीं आनी चाहिये।

छोटे और दर्म्याने दर्जे के जो अखबार है उनके प्रतिनिधि उस काउंसिल में अधिक से अधिक लिये जाने चाहियें। जो भारतीय भाषाओं में अखबार छपते हैं, हिन्दी, उर्दू, गुजराती, तमिल, इत्यादि में अखबार छपते हैं वही सही तौर पर हिन्दुस्तान की जनता की नुमाइंदगी करते हैं, इस वास्ते उनके ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे उसमें लिए जाने चाहियें। पच्चीस मेम्बरों में से कम से कम सात ऐसे होने चाहिएं जो खुद एडिटर भी हैं, प्रोप्राइटर भी हैं, जरनलिस्ट भी है, सारे के सारे जो खुद काम करते हैं। ऐसे लोगों को अधिक से अधिक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए बनिस्बत बड़े अखबारों को नुमाइंदगी देने के।

हिन्दुस्तान के कुछ बड़े-बड़े अखबार हैं जिनकी मोनोपोली है। दस फैमिलीज हैं, बड़ी-बड़ी फैमिलीज हैं वे ही इन सारे अखबारों को कंट्रोल करती हैं। यह जो मोनोपोली है यह खत्म होनी चाहिये। हमारे सूचना तथा प्रसारण मंत्री हृदय से चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का प्रेस आजाद हो और वह पूंजीपतियों के हाथों से निकले। अगर वह सच्चे दिल से उसको चाहते हैं तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि मोनोपोली कमीशन के लिये वह इस बात को न छोड़ें बल्कि प्रेस काउंसिल के हाथ में इस बात को वह दे कि अखबारों के मोनोपोली के बारे में वह जांच करे। मोनोपोली कमीशन नहीं बल्कि प्रेस काउंसिल जांच करे और ठोस सुझाव दे। जब तक प्रेस काउंसिल इस बारे में गम्भीरता से विचार नहीं करेगी और ठोस सुझाव नहीं देगी तब तक यह मसला कभी हल नहीं हो सकेगा और मोनोपोली पेपर जो हैं वे किसी तरह से भी छोटे और दर्म्याने पेपर्स को पनपने नहीं देंगे।

प्राइस पेज शैडयूल 1968 से लटका पड़ा है, खड्डे में पड़ा है, पता नहीं किस अल्मारी में पड़ा हुआ है। अगर उसको लागू करने के लिये विधान के अन्दर संशोधन करना जरूरी हो तो वह भी किया जा सकता है और पार्लियामेंट मैं समझता हूं कि भारी मैजोरिटी से संशोधन करने पर राजी हो जाएगी। इसके बिना छोटे और दर्म्याने दर्जे के जो अखबार हैं वे बड़े अखबारों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन छोटे अखबारों को उनके कम्पीटीशन से बचाने के लिये और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि प्राइस पेज शैडयूल को लागू किया जाए। कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था।

वर्किंग जरनलिस्टों के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। बड़ी-बड़ी एजेंसियां जो हैं, जो बड़े-बड़े अखबार हैं उनमें जो वर्किंग जरनलिस्ट हैं, जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, उनकी सर्विस कंडिशंज के बारे में, उनके हकूक के बारे में आप को ध्यान देना होगा और उनकी हिफाजत करनी होगी। अगर कोई झगड़ा पैदा होता है तो उसको लेबर लॉ के अनुसार हल नहीं किया जा सकता है। प्रेस काउंसिल को ऐसे अख्तियार होने चाहिएं कि वह उन पर एक-दम एक्शन ले सके और उनके हकूक की हिफाजत कर सके। प्रेस काउंसिल को

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

इसके बारे में कुछ न कुछ हकूक जरूर मिलने चाहियें।

आमतौर पर मैं नहीं कहता हूं। लेकिन मैं अब एक बात कहना चाहता हूं कि श्री शाह ने इस बिल को प्रेस के विचारों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है। उ ी प्रकार से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता कि सभी प्रेस वालों से मिलकर उनकी सब बातें सुनकर, उनके विचार जानकर, सबका राय लेकर इस बिल को लोक सभा में पेश किया जाए। तभी वह काबिले कबूल हो सकेगा। बहुत सी कठिनाइयां हमारी प्रेस की हैं। ऐसा करके उनको हल करने में आपको मदद मिलेगी। जब तक आप अपनी तरफ से ही बात करेंगे तब तक बात ठीक नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि प्रेस वालों से पू ी तरह से बातचीत करके और उनकी राय लेकर इस बिल को आप यहां लायें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसकी मियाद को बढ़ा दिया जाये।

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti): Sir, I was a member of the Press Commission. We put in hard work and submitted an expert report. Government accepted our recommendations and did nothing for ages. Now piecemeal they are trying to bring in legislation. But the first point I want to raise is this. If this Amendment Bill involves any additional expenditure, it could not have been originated in the Rajya Sabha, nor can it come here from there. I want that point clarified because, I believe, something like Rs. 20,000 are involved in it. If that is the case, it could not have gone up there. Every Money Bill must go to the other House from the Lok Sabha. I want your ruling on that.

SHRI I. K. GUJRAL: My hon. friend, Shri Jaipal Singh, is a leading jurisprudence expert and I hope he understands the rules. He has stayed long enough in this Houses to understand what is a Money Bill. A Money Bill has first to be certified to be a Money Bill. Every Bill that involves expenditure does not become a Money Bill merely because some expenditure is involved.

SHRI JAIPAL SINGH: My young friend is quite right in saying that I have been here long enough. That is perfectly true. I am not talking of a Money Bill as a Budget. Any Bill that involves additional expenditure which has to come from the Consolidated Fund of India, must go from the Lok Sabha to the other House.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Are we indulging in a dialogue now?

SHRI JAIPAL SINGH: I regret we are wasting time in discussing this Bill. I can go to the Supreme Court and have it declared *ultra vires*.

MR. CHAIRMAN: There is no bar under the Constitution or under the Rules of Procedure that it cannot originate from the Rajya Sabha.

SHRI JAIPAL SINGH: Where any additional expenditure comes from the Consolidated Fund of India, can it originate in the Upper House? Please show me the Rules and I will accept it.

SHRI I. K. GUJRAL: As I said, my hon. friend is mixing up the two things. The mere initiation of expense on a legislation does not make it a Money Bill. A Money Bill is well-defined in the Constitution as well as in the Rules of Procedure. If he would only care to either refresh his memory or look in the book of Rules again, I am sure, he will understand that it is not a Money Bill.

MR. CHAIRMAN: Article 117(3) of the Constitution reads:

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill."

So, "either House of Parliament" means either this House or other House. That is my interpretation.

SHRI JAIPAL SINGH: I am a signatory to the Constitution. I can tell you what the meaning is.

MR. CHAIRMAN: Let us proceed with the Bill now.

SHRI JAIPAL SINGH: Parliament consists of both Houses. But it is not a question of "either House" here. Are you going to tell me that the Budget can be introduced in the Upper House? Let us have this argument.

MR. CHAIRMAN: Shri Devgun.

SHRI JAIPAL SINGH: I have to make the second part of my speech.

MR. CHAIRMAN: I am sorry. You sit down. You asked for a ruling and I gave the ruling. I have already called Mr. Devgun. I will give you another opportunity.

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, यह विधेयक प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को बढ़ाने और उसे एक साथ समाप्त करने के सीमित उद्देश्य से लाया गया है । परन्तु इस विधेयक का समर्थन करना ठीक है, क्योंकि इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार को जो कुछ करना चाहिए था, वह नहीं कर रही है ।

यह प्रेस कौंसिल कुछ वर्षों से काम कर रही है और प्रेस कमीशन की सिफारिश के परिणामस्वरूप इसको कायम किया गया था । मुझे खेद है कि प्रेस कौंसिल को जो उद्देश्य पूरे करने चाहिए थे, उन्हें वह पूरा नहीं कर सकी है । प्रेस कौंसिल की स्थापना की सिफारिश करते हुए प्रेस कमीशन के सामने सबसे मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता कायम रहे । समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता हमारे लोकतन्त्र और हमारी आजादी के लिए बहुत ही आवश्यक है । समाचारपत्र हमारे लोकतन्त्र के मुख्य आधार स्तम्भ हैं और इस लिए उनकी स्वतन्त्रता के साथ ही देश में विचारों की स्वतन्त्रता रह सकती है और विचारों की स्वतन्त्रता के साथ ही वास्तविक लोकतन्त्र चल सकता है । जैसाकि मैंने कहा है, प्रेस कमीशन के सामने मुख्य विचार यही था कि देश में विचारों की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता को कायम रखा जाये ।

प्रेस कौंसिल की स्थापना के ये भी उद्देश्य थे कि समाचारपत्रों का स्तर ऊंचा हो, समाचार-पत्र देश और लोकतन्त्र की सेवा के लिए अग्रसर रहें और वे किसी व्यापार के प्रभाव में आकर न चलें, वे व्यापार के उद्देश्य से न चलाये जायें और उनका एकीकरण या समूहीकरण न हो । अगर पिछले कुछ सालों का इतिहास देखा जाये, तो, सभापति महोदय, आप सहमत होंगे कि प्रेस कौंसिल इनमें से किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी है ।

पिछले तीन सालों में बड़े-बड़े समाचार-पत्रों, कामन ओनरशिप के समाचारपत्रों के फैलाव में वृद्धि ही हुई है, किसी किस्म की कमी नहीं हुई है । जो समाचारपत्र बड़े-बड़े व्यापारियों के प्रभाव में आये हैं, उन्होंने अपने पांव अधिक क्षेत्रों में फैलाये हैं और उनका सर्कुलेशन भी बढ़ा है । प्रेस रजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार 1966 में कामन ओनरशिप के समाचारपत्रों का सर्कुलेशन 73.6% तक जा पहुंचा है । इससे अनुमान लगाया जा

[श्री हरदयाल देवगुण]

सकता है कि प्रेस कौंसिल अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी है ।

15 hrs.

जहां तक समाचारपत्रों के व्यापारियों के प्रभाव में आने का प्रश्न है, इसका विरोध इसलिए भी होता है कि यदि सब या अधिकतर समाचारपत्र या समाचारपत्रों के माध्यम कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं, तो उसके विचारों की स्वतन्त्रता नहीं रहती है । विशेष रूप से जब उद्योगपतियों और व्यापारियों के हाथों में समाचारपत्र और समाचारों के माध्यम पहुंच जाते हैं, तो लोकतंत्र के लिए सब से बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि थोड़े से लोगों को प्रभावित करना सरकार के लिए आसान होता है ।

आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के कुछ बड़े परिवारों, बिड़ला परिवार, एस०पी० जैन परिवार या गोयनका परिवार आदि के बड़े-बड़े पत्र हैं और उन पत्रों की शृंखला सारे हिन्दुस्तान में फैली हुई है । इसलिए सरकार के लिए यह बहुत ही आसान हो गया है कि वह इन तीन चार लोगों को अपने काबू में कर ले और इस प्रकार सारे देश की विचार धारा को अपनी इच्छानुसार एक दिशा दे दे । पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बिड़ला का समाचारपत्र सरकार का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है । इसी प्रकार साहू-जैन का पत्र सरकार का सबसे बड़ा समर्थक है ।

इसीलिए प्रेस कौंसिल का यह एक बड़ा उद्देश्य था कि देश के समाचारपत्र कुछ बड़े परिवारों के हाथों में न रहें, कुछ लोगों के अधिकार में समाचारपत्रों का कांसेनट्रेशन न हो जाये । जाहिर है कि लोकतंत्र के लिए यह बात नितान्त आवश्यक है । लेकिन प्रेस कौंसिल इस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रही है । सरकार पर भी इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह चाहती है कि कुछ लोगों के पास ये समाचारपत्र रह और वह चाहे, उन्हें अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सके । उसने सबसे ज्यादा पूंजीपतियों के जरिये अपनी नीतियों का प्रचार करवाया है । जैसाकि कल यहां पर कहा गया, टाइम्स आफ इंडिया अब टाइम्स आफ इंदिरा बन गया है और हिन्दुस्तान टाइम्स अब सरकारी गजट बन गया है ।

इसी प्रकार देश के समाचारपत्रों पर विदेशी प्रभाव भी पिछले पांच दस सालों में बढ़ा है। यहां पर बताया गया है कि 30, 31 लाख रुपया पेट्रियट और लिंक में इनवेस्ट हुआ है । वह रुपया कहां से आया है । सरकार ने इस बारे में कई आश्वासन दिये हैं कि वह एनक्वायरी करके बतायेगी कि वह रुपया कहां से आया है । लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है । इसी तरह बताया गया था कि नेपाल के श्री देव नारायण शर्मा ने पेट्रियट और लिंक में पचास हजार रुपया इनवेस्ट किया है, यह सज्जन कौन हैं और यह रुपया कैसे इनवेस्ट किया गया इसकी जांच करके अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है । रूस या किसी अन्य देश का रुपया इस देश में लगता है और उसके द्वारा प्रचार करके इस देश की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता है । इसी तरह समाचारपत्रों पर भी उन उद्योग-पतियों का भी प्रभाव है, जो सरकार के साथ मिलकर, अपना फायदा उठाने के लिए, कुछ भी लिखने के लिये तैयार हैं या विदेशियों का है जो अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं । इसलिए इससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है, लोकशाही है, उसको खतरा है । प्रेस कौंसिल का सब से मुख्य उद्देश्य यह था कि इन तमाम प्रभावों में प्रेस और समाचार पत्रों की रक्षा की जाय । वह तभी सम्भव है जब समाचारपत्रों में काम करने वाले, अखबार चलाने वाले वर्किंग जरनलिस्ट्स को प्रेस कौंसिल में उचित प्रति-निधित्व मिले और उसके साथ ही उस का

अध्यक्ष भी इन लोगों में से ही हैं । जिस तरह से बार कौंसिल है, मेडिकल कौंसिल है, कौंसिल है, वह जिन व्यवसायों की संस्थाएं हैं उन व्यवसायों के लोग ही उनके अध्यक्ष बनते हैं। इसी प्रकार से प्रेस कौंसिल को भी सफल करना है, उसके उद्देश्यों को पूरा करना है तो दो तीन बातें मैं कहूंगा । एक तो पार्लियामेंट के मेम्बरों की जो एडवाइजरी कमेटी इस बात पर बनी थी उसकी सिफारिशों के बारे में सरकार बताए, कि सरकार क्या करने जा रही है ? दूसरे प्रेस कौंसिल को वर्किंग जर्नलिस्ट्स की प्रतिनिधि सभा बनाया जाय । इसमें उद्योगपतियों या मालिकों के प्रतिनिधि न रख जायें । तीसरे, इस के जो अध्यक्ष हों वह वर्किंग जर्नलिस्ट्स में से अर्थात् अखबारों में काम करने वाले लोगों में से ही किसी को बनाया जाय ।

श्री इ० कु० गुजराल: यह आपकी राय है या पार्टी की राय है ?

श्री हरदयाल देवगुण : पार्टी की राय है । हम पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं । हम पार्टी की डिसिप्लिन को तोड़कर बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं । हम पार्टी की डिसिप्लिन के अनुसार काम करते हैं ।

SHRI JAIPAL SINGH: May I draw your attention to Art. 109? I shall read it.

MR. CHAIRMAN: I have given the decision and the decision of the Chair cannot be questioned.

SHRI JAIPAL SINGH: I am not disputing the ruling.

MR. CHAIRMAN: You are discussing it which I cannot allow.

SHRI JAIPAL SINGH: According to Art. 109, a Money Bill cannot be introduced in the Council of States.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj): Mr. Chairman, Sir, this is a very simple Bill arising out of the recommendations of the Advisory Committee on the Press Council Act. It only seeks to extend the time of the tenure of the Chairman and the Members so that the tenure of both Chairman and Members may be coterminous. This is the long and short of the Bill.

According to the provisions of the original Press Council Act the first Chairman assumed charge on 4th July and the names of 25 members were notified on 16th November, 1966. So, the tenure of each of them comes to end separately. That was the difficulty. There was a gap between the ending of the Chairman's tenure and the ending of the Member's tenure.

It will be further appreciated that due to some unfortunate developments the first Chairman resigned and this has brought forth some of the difficulties which had to be met and which had to be remedied in the application of the Act itself. So the previous Minister, Shri K. K. Shah, appointed this Advisory Committee and one of its decisions was that the tenure of both of them should be made coterminous. That has been done by this new Press Council Bill and so it does not require much criticism or many other factors which have been brought out by some of my friends there beginning from Rashtrapati to 'Poonjipati'. At times I doubt where do they get all these things in this Bill. I am one of those who were associated with the present Press Council Act almost from the beginning. And, in fact, the present Act, as it is, was drafted by a Committee in which I had much to contribute.

Sir, this Press Council Act has passed through five Ministers. It was Mr. Keskar first; then came Shri Gopala Reddy. Then came Shrimati Indira Gandhi herself and then came Shri Satya Narayan Sinha and then came

[Shri C. K. Bhattacharyya]

Shri K. K. Shah. And now again Shri Satya Narayan Sinha has come. In spite of the fact that the Press Council Act has passed through the hands of so many of these distinguished honourable Ministers, it has not yet reached its finality. This is what I regret, Sir.

AN HON. MEMBER: Why has it not been done?

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: The provisions of the present Bill are justified. It should be supported by all of us. The unfortunate circumstance in which the first Chairman resigned was one of the causes which interfered in the work of the Press Council.

The Press Commission made a particularly recommendation that the newspaper workers—particularly journalists in the newspapers—should make it their special point of view to see that they are not actuated by politics in their day-to-day work in the newspapers. That was a particular recommendation of the Press Commission.

Unfortunately, Sir, that has not come to be true, in the circumstances in which we find ourselves. In fact, in one of the interviews which the previous Information Minister had in the All India Radio with two of the Journalists, they put the question to him: "Mr. Shah, when are you going to scrap the Press Council?" They seemed to be hustling the Minister into a course of action which they felt to be in their interest, because, in the constitution of the Council they did not find the representation for themselves in the way they expected.

The Press Council has worked successfully so far. This is a new venture in our country and it is something which should be supported from all sides so that the Press Council Act may improve the standard of newspapers and secure the freedom of the Press. By freedom of the Press, I mean, the freedom of the Editor of the newspaper.

I am happy to see that the hon. Minister Shri Gujral agrees with my view. I have understood this from his statement in the papers. He said that the freedom of the Press is the freedom of the Editor. For that I wish him godspeed so that he can reinstate the Editor to his own position. But the difficulty is this. In order to evade giving that position the proprietors themselves are now appearing as editors. I do not know what provision the Government might think of so that the editors are the real editors and not of the type which we find in some papers nowadays, where they simply put their names and do not write anything at all. The proprietors come into the role of the editors so that the status, the authority and the symbol which is represented by a newspaper is enjoyed by them and not by the real editor. That is the difficulty. And, this difficulty may be removed by some other enactment, if not by the Press Council Act. In what way can this be done by the working of the Press Council Act, I cannot say just now. It will be for Government to find out what they can do to salvage the position of the editor. In any case, so far as extending the period for which the present members of the Press Council are to remain in their position, up to 31st March, 1970, is concerned, I give my full support to this Bill, and I wish the Bill would be passed by this House unanimously.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): First of all, I would like to oppose the way the Government, of late, are falling into the tendency of issuing an ordinance for each and everything. This facility to have recourse to an ordinance is permissible only in extraordinary circumstances, but we find that Government are misusing these facilities, and they have almost

made it a sort of regular and normal practice. This is very objectionable and it is unconstitutional. I hope at least in future Government would try to respect the Constitution a little better than they have been doing in the past, and not come forward with the excuse which they often give that they do not have enough time to have a Bill passed before the session adjourns or some such lame excuse, which is very unfair on the part of Government.

Coming to the Bill, Shri C. .K. Bhattacharyya made it appear as if it was a very innocuous thing and there was nothing in it. It is true that there is nothing in it. Therefore I feel that even if the ordinance had not been issued or even if it is not ratified by this House through this Bill, the heavens would not have fallen. From the inception of the Press Council we know that nothing has been delivered whatsoever, except as pointed out by some friends that the members of the council got some sort of accommodation here. Except for that, nothing material has been done.

I am sure the hon. Minister knows it very well that because of the lacunae and anomalies that are there in the parent Act, the council has not been able to function properly. Of course, they had some teething troubles in the very beginning. Some members left after joining it, and some responsible pressmen refused to join it. Further, as has already been pointed out, Government did not honour the recommendations of the Press Commission which were already there before them. And yet they brought this council into being. They even appointed an advisory committee to the press council. In the Statement of Objects and Reasons, Governmet have stated that it is in pursuance of the recommendations of that advisory committee that they brought forward this Bill to replace the ordinance which they had promulgated earlier.

The very first recommendation of the committee is that the committee is of the opinion that Government should bring forward an amending Bill for reorganising the Press Council on proper lines. They wanted an amending Bill. But what we are finding in this Bill is that they are only extending the tenure of the chairman and members of the council for six or seven more months. What for are they doing it? The committee found that because of the structural defects in the set-up and also because of some substantial defects with regard to their working, the council was not able to function properly. Unless these are rectified, how are Government going to convince us that the extension of the term will do any good to the press or to the country?

I would like to point out certain things. For example, the council consists of 25 members. But I do not know whether there are members conversant with any of these fourteen or fifteen Indian languages except probably Hindi which are there in the Schedule to the Constitution. There are big papers in this country in the different languages, which have got good circulation. If there is some complaint against a language newspaper and it has got to be looked into, there may not be people having knowledge of that particular language in that council. Even there, the advisory Committee has made certain recommendations. Those recommendations have to be implemented, and they can be implemented only by amending section 8 of the parent Act. If that cannot be amended, how are they going to function? There are so many changes, including structural ones, they have recommended. They have , for example, recommended that the annual report of the Press Council should be laid on the Table. The Government could have accepted this. With regard to the appointment of the Chairman and members, the Advisory Committee was of the

[Shri S. Kandappan]

opinion that that they should be appointed by a committee of three consisting of the Chief Justice of India, the Speaker of the Lok Sabha and the Chairman of the Rajya Sabha, and that in the appointment of members, the Chairman should not have any say. These are all recomendations concerning the structural set-up of the Council itself. Unless these are incorporated in a comprehensive Bill, I am afraid it would be very difficult for the Press Council to discharge the functions intended of it. That is my objection to this Bill because it is not going to fulfil the purpose for which it is intended. This Bill only extends the tenure of the Council which is already sleeping, doing nothing, because practically it is not able to carry out anything. So Government should bring forward a comprehensive Bill before the end of the tenure of the present Council by the end of March 1970 so that the Council is reconstituted in such a way as to fulfil the functions assigned to it.

In the Committee's recommendations, they do not bestow much attention on regional language papers. These papers have their problems. The Committee only says that after the working of the Council for some time, they can decide about the constitution of the regional advisory committees. The Committee also say in another place—not in the summary of the recommendations—that at least three members of the total membership should have knowledge of regional languages. This number will not be adequate. I think it should be increased. Before Government decide about the new set-up of the Council, let them seriously consider whether it would not be advisable to constitute regional committees or advisory committees as well so that they can cater for the needs of the different regional language areas so that we may have an effective statutory autonomous body which will be self-regulatory and which will have its own discipline which will result in a free press which is a basic pre-requisite for democratic functioning in any country.

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया): माननीय सभापति महोदय, प्रेस कान्सिल अमेन्डमेन्ट बिल का स्वागत करते हुए मैं आपका ध्यान तथा इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां विरोधी दल के लोग तथा कांग्रेस दल के सभी सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि विचारों की स्वतन्त्रता तथा अपनी बात कहने की पूरी आजादी हो, वहां विरोधी दल के—सम्भवत: जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने एक राजनीतिक बात भी इस बिल के सम्बन्ध में उठा दी तथा उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्ज तथा टाइम्ज आफ़ इण्डिया के खिलाफ़ दोषारोपण किया, जो एक वर्ष से नहीं, अनेक वर्षों से, कई दशकों से पं० जवाहर लाल नेहरू की सरकार तथा जो माननीय मंत्री सामने बैठे हुए हैं, उन की सरकार के खिलाफ़ लिखते रहे हैं। वह इस बात को भी भूल गये कि उन्हीं पूंजीपतियों में से कई अखबारों के ग्रुप का अखबार—इण्डियन एक्सप्रेस—इन्हीं दिनों क्या लिख रहा था। भारत का सबसे धनिक पूंजीपति, जिसका उस अखबार पर अधिक नियन्त्रण है तथा जिसके पास उस अखबार के सबसे अधिक शेयर हैं —वह स्टेट्समैन क्या लिखता रहा है। ऐसे अवसरों पर जब यहां प्रैस के विचारों में पूरी स्वतन्त्रता की बात कही जाती है, तो राजनीति को उस में ला कर डाल देना उन की स्वतन्त्रता को एक तरह से सीमित करना हो जाता है। इस तरह से वे जहां उनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन पर यहां से असर डालना चाहते हैं, विरोध करके ये बातें कहते हैं लेकिन वे क्या भूल जाते हैं कि उन्हीं के दल के एक साहब जो इस वक्त शायद समाचार भारती के अध्यक्ष हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उस न्यूज एजेन्सी, समाचार भारती में क्या क्या हो रहा है ?

श्री हरदयाल देवगण : हमारे दल का कोई भी आदमी समाचार भारती में नहीं है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसको कायम किया था, उसमें सभी कांग्रेसी हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : मुझ कहने दीजिए । इनको पिंच कर रही है यह बात । इसमें 75 हजार रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है । यह वह एजेन्सी है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लाख 25 हजार का कर्जा दिया है । यह वह एजेन्सी है जिसमें 19 लाख रुपए के शेयर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और मैसूर प्रदेश सरकारों के हैं । इसमें निजी व्यक्तियों के केवल 24 हजार रुपये के शेयर हैं । लेकिन उसी समाचार भारती की नीति क्या है ? किस प्रकार के समाचार उसमें निकलते हैं ? इस समय उसका जो प्रबन्ध चल रहा है वह कैसा चल रहा है ? वहां पर उन लोगों को निकाला जा रहा है जोकि स्वतंत्र विचारों के रहे हैं जैसे श्री जे० पी० चतुर्वेदी जो इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के प्रेसीडेन्ट रह चुके हैं, जिन्होंने इंडिया के बाहर भी जाकर जर्नलिस्ट्स कांफ्रेन्स में प्रेजाइड किया है । ऐसे व्यक्तियों को वहां से निकाला गया है इसलिए कि उनके विचार स्वतंत्र रहे हैं । वे कांग्रेस की भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं । वे 17 वर्ष तक एक दैनिक पत्र "आज" के संवाददाता रह चुके हैं और स्वाधीनता के लिए प्रचार करते रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार की भी आलोचना कभी कभी कटु आलोचना करते रहे हैं । तो इस तरह से जहां पर सरकार का पैसा लगता है, केवल 24 हजार रुपया व्यक्तियों के शेयर में हैं और कई लाख रुपया सरकार का लगा है, उस रुपए का सदुपयोग हो इसके लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार या प्रदेशीय सरकार के प्रतिनिधि वहां पर रहें, न्यूज एजेन्सी में और यह देखें कि अनुचित तरीके से पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है या अनुचित तरीके से जो प्रेस के कर्मचारी हैं उनको सताया तो नहीं जा रहा है तथा स्वतंत्र विचार रखने वाले जो संवाददाता या विशेष प्रतिनिधि हैं उनको दबाया तो नहीं जा रहा है, उनको जगह जगह परेशान तो नहीं किया जा रहा है । वे जनसंघ या स्वतंत्र पार्टी के असर में न रह कर स्वतंत्र रहें और अपने विचारों की स्वाधीनता रखते हुए जर्नलिज्म के वास्तविक विचारधारा से प्रचार करें और जनहित के जो काम हैं उसमें पार्टी के सिद्धांतों को न ला कर स्वाधीनता पूर्वक काम करें । वहां पर सरकार को यह बात भी देखने की जरूरत है कि प्रेस कौंसिल में क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि हमारे देश की जनता ने जो स्वाधीनता का प्रदर्शन किया है जिससे कुछ लोगों को झिझक और परेशानी हो रही है, उस स्वाधीनता का प्रचार इन अखबार एजेन्सीज के द्वारा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): There is very little time at our disposal and it is a pity that we do not get enough time to deal with a subject as important as this.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BRROADCASTING, AND COMMUNICATIONS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): When the comprehensive Bill come you will have enough time.

SHRI VASUDEVAN NAIR: Let us hope that it will come at least in the next session.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: It will.

SHRI VASUDEVAN NAIR: First, I will deal with that aspect of the problem itself. He says that a comprehensive amending Bill is coming in the next session. We hope that that commitment will stand, but it remains a fact that it is almost one year since the report of the Members of Parliament—that advisory committee appointed by Government—

[Shri Vosudevan Nair]

was submitted. But the Government even now thinks it necessary to consider the views of the concerned interests although that committee itself went into the details, invited the witnesses and took evidence and went into all aspects of the matter. I do not know what further consultations the Government would like to have with the representatives of the concerned interests. Whatever that be, we urge upon the Government to take a decision as soon as possible and bring a comprehensive Bill in the next session itself.

Now, whatever be the present nature of the amending Bill that the Government intends to bring before this hon. House, my point is that the Press Council cannot work any miracle by way of improving the standards of journalism in our country, because we all know the way the newspapers are run in this country. We all know who is running the major newspapers and why they are running them, for what purpose they are running them. Although it is held, always claimed that they are the mouth-pieces of the peole of this country, the millions of this country, there is statement which as farther from the truth than this one statement: that so many of the newspapers in this country are the mouthpieces of the millions of this country. I need not go into the kind of representations of the people's will that they are making from day to day. The latest experience we have, especially about the major newspapers owned by the monopoly houses, on this issue of bank nationalisation, is very clear. What happened? It is no surprise at least to some of us on this side of the House that they were engaged in a deliberate distortion of the entire matter. Some of the newspapers which were owned and run by those very bankers, by those very vested interests, had to do it, naturally, although they always claim that they are the mouth-pieces of the millions of people in this country. Some of those people have gone rather mad during these few weeks. They were so upset and they were trying to create a scarce in this country. It is now clear to everyone that they could not at all understand and appreciate what was in the minds of the people of this country. Unfortunately, that is the state of affairs in this land as far as the mass media is concerned. It is inevitable in a society where the means of production are owned by a small group of people, and there is a very clear link-up between the ownership of mass media and the ownership of the means of production. Government has signally failed in helping those journalists and others who are interested in the development of a really free and independent press, so that the will of the people and their opinions may be really given expression to. Government has to think about this seriously. In this country, there is so much talk of freedom of expression and freedom of the press. But what kind of freedom of expression and freedom of the press exists today in this country? I suggest that Government should devise ways and means to make available the necessary finances or genuine journalists and non-journalist employees and others to come together. and from cooperative societies or corporations, so that they can promote their own newspapers. Of courses we do not want Government to have its own subsidised news agencies or newspapers. That is not desirable.

Today we have got brilliant working journalists, but they do not want to associate themselves with the Press Council and they are unable to play their role. Their genius and capacity are being exploited by a few people who have got immense finances. Today running an important newspaper is not a joke. It meas crores of rupees. Today only the big industrialists and big bankers are able to

throw their money, hire people, give thousands of rupees, air-conditioned houses, cars and other things and are able to run these big newspapers. Of course, these newspapers appear to be the best, but others also can produce similar newspapers if they have the finances, because they have got brilliance, genius and everything at their command. Now they are selling it to others who have got money. Let us have some alternative arrangement. Today the newspapers reach merely a fraction of our population. The news papers should reach the kisans and the masses in the countryside. Let us have an alternative arrangement and system of newspapers in this country. That is one thing about which Government has to think seriously.

I support Mr. Bishwanath Roy when he said that the affairs of *Samachar Bharati* have to be looked into immediately by the Government. These is lot of mismanagement there and we are told that employees are being treated like chattel. They are suspended and dismissed. I think the State Government's finances are involved in it. Two or three directors cannot do things as they like. It was started as a national news agency intended to help the regional papers and Government has some responsibility to see that it is run in a proper manner.

I think there was some idea of converting PTI into a corporation and the minister himself talked about it somewhere. I would like to know whether they are still pursuing this matter.

These are few issues I wanted to raise in the few minutes allotted to me. The main point is, let us try to find a way out to help the working journalists, non-working journalists and all those who are interested in a really independent press to have an opportunity to start such newspapers in this country.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHARY (Krishnagar): Mr. Chairman, I am really thankful to you for giving me a little time. The newspapers are very much in the heart of the people of West Bengal. During the freedom movement the newspapers have done their bit in Bengal. They have stood up to every kind of coercion but they never failed to voice the will of the people and they served the cause of freedom without fear. Now in Bengal under the UF Government they are facing almost the same position; they are facing coercion, much trouble and yet they are able to keep the flag of independent thought flying which, I think, is a great credit to them. If, sometimes, they have to give in, I do not think it is their fault, Naturally, when their whole establishment is burnt, when the whole printing press is dismantled then, per force, they have to be restrained to a certain extent. Yet, they keep the flag of independent thought flying in Bengal today, fearlessly.

Though we have discussed many points during the consideration of this Bill, the Bill is a simple one, brought only for the purpose of extending the tenure of office of the Chairman from 4th July 1969 to 31st March 1970. The Press Council has been functioning for the last three years but the tenure of the various components terminated at various times. That is why this Bill has been brought in. But, during this period of three years, what has the Press Council done? Has it really done something positive? Though they have put some restrictions on communal papers here and there, I am really surprised that they have done nothing about the *'Organiser'* up to this time! Sir, the *'Organiser'* has said things which cannot be countenanced by any civilized society. Why is it that this paper has not been banned? Why the Press Council has not taken any action against this paper is beyond my comprehension. I hope the Minister will take note of it.

Here I would like to point out one thing. In India we have monopoly newspapers or chain newspapers. To refresh the memory of the House I may point out that the share of the chain

[Shrimati Ila Palchoudhary]

newspapers rose to 54.9 per cent between 1960 and 1963. In 1964 these units accounted for 67.8 per cent of the total circulation of all dailies in the country. The next year it rose to 68.4 per cent and in 1966 it was as much as 73.6 per cent. These chain newspapers are controlled by big business or capitalists and brilliant editors are very often completely overshadowed. They cannot express their opinion freely. They have to toe the line of the big business because the money has been invested by them. Here I would like to quote a few lines from the speech of Shri Jawaharlal Nehru on this point. He says:

> "But the fact of a big industry by itself owing a newspaper or owning of a chain of newspapers cannot be said to give them the kind of freedom which an independent editor has or the public should expect of it. What I mean is that these mass circulation newspapers represent the views of a limited number, but create the impression, because of their mass circulation and the money behind them, of representing large numbers of people."

It is not that they represent the people. They represent only a small section of the people. So, small and independent newspapers must be sponsored and given all encouragement by the Government. The Small Newspaper Enquiry Committee had suggested legislation in this regard. When the Press Council starts functioning with the extended tenure of the Chairman, I hope it will suggest some sort of legislation for small and language papers. These little language newspapers are the only papers, I can assure you, that Treach the masses, that everybody reads—the housewife reads them, the villager reads them; there his opinion is formed and he gets to know what is going on in the world.

It is a fact that the journalists have to have all our sympathy because the journalists, whatever legislation has been brought about, have not had the full amount of support and their cause has not been seen to as it should have been. I hope, the Press Council will look into the cause of journalists, working journalists, editors and all the staff of newspapers.

Newspapers and journalists occupy a special place in a country because they live in the hearts of the people and have their hands on the pulse of time. So, they must be given every facility so that, whether it be through co-operatives or any other channel, they have the full scope to express themselves. Their diligence and their intelligence should come into full flower so that India can voice her opinion and the people of India can say what they want to say without any hitch or hindrance.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, हमारे देश में समाचारपत्रों की स्वतंत्रता का अपहरण तीन प्रकार से होता है। एक प्रकार तो वह है जिसकी चर्चा कल यहां चलीथी। वह **टाइम्स आफ इंडिया** ग्रुप के बारें में थी। उस में सरकार समाचार पत्रों के मालिकों से मिल कर उस में एक भागीदार के रूप में सामने आती है और फिर अपना प्रचार करने के लिए उनका उपयोग करती है।

दूसरा प्रकार यह है कि जो सरकार समर्थक समाचारपत्र है उनको अधिकांश मात्रा में विज्ञापन दिये जाते हैं।

तीसरा प्रकार यह है कि जो समाचारपत्रों के मालिक हैं या प्रबन्धक हैं उनको पृथक पृथक बुला कर उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और यह कहा जाता है कि वे सरकार के समर्थन में अपने अखबारों का प्रयोग करें।

इन तीनों प्रकारों का मैं विरोधी हूं । मैं समझता हूं कि इस देश में जिस दिन समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी वह दिन म देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा और वह जनतंत्र की दृष्टि से उपयुक्त बात नहीं होगी ।

जहां मैं यह चाहता हूं कि समाचारपत्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करने में सरकार आगे न आए वहां मैं यह भी चाहता हूं कि पूंजीपति भी समाचारपत्रों का अपने स्वार्थों के लिए उपयोग न करें । जिन के समाचारपत्र हैं उनकी आमदनी का वे लाभ यदि उठाना चाहें तो उठालें लेकिन वह भी उपयुक्त मात्रा में । परन्तु क्योंकि वे उनके समाचारपत्र हैं इसलिए वे उन समाचारपत्रों का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करें, ऐसा नहीं होना चाहिये । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि समाचारपत्रों की स्वतंत्रता न सरकार की ओर से और न ही मालिकों की ओर से किसी प्रकार छिनने पाये ।

जहां तक प्रैस काउंसिल के निर्माण का सम्बन्ध है, मेरी स्पष्ट राय यह है कि इसके अन्दर सरकार का हाथ कम से कम होना चाहिये । समाचारपत्रों में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं या समाचारपत्रों के लिए दिन-रात काम करके जिन्होंने अपना जीवन उन में खपाया है, उनको प्रमुखता दी जानी चाहिये । वे इस प्रकार की काउंसिल का निर्माण करें तो वह काउंसिल समाचारपत्रों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी ।

आज हमारे समाचारपत्रों में कुछ विदेशी धन का स्पर्श भी बड़ी मात्रा में होने लगा है । पिछले संसद् के अधिवेशन में इस प्रकार की कुछ चर्चा आई थी । मैं इन बातों को विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं । संक्षेप से और केवल संकेत के लिए मैं मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान की राजनीति के लिए और भारतीय जनतंत्र के लिए बड़ी भयावह होती जा रही है कि हमारे समाचारपत्रों को विदेशी धन स्पर्श करने लगा है प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, दान के रूप में भी और सहायता के रूप में भी । विदेशी धन जहां भी समाचारपत्रों की आत्मा को स्पर्श करे, मैं चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में सरकार कड़ाई के साथ कदम उठाये ताकि समाचारपत्र इस देश में जनतंत्र के जो एक प्रमुख रक्षक हैं, वे अपनी स्वतंत्रता को बनाये रख सकें ।

अब मैं समाचार भारती के सम्बन्ध में विशेष रूप से कुछ बात कहना चाहता हूं । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं भी समाचार भारती के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज का एक सदस्य हूं । मैं समझता हूं कि इस वास्ते मैं इसको अधिकाधिक रूप से कह सकता हूं । जिस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने समाचार भारती नाम के समाचार संगठन की स्थापना की, उस समय उनका उद्देश्य यह था कि देश की जितनी भी भाषायें हैं और उन भाषाओं के जितने भी समाचारपत्र हैं, उनको अपनी अपनी भाषाओं में समाचार मिलें । उनको अंग्रेजी में समाचार ले कर उनका अनुवाद न करना पड़े । इस आधार को ले कर एक समिति बनाई । इस प्रकार की समिति को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा, इसलिए शास्त्री जी के संकेत पर कई राज्य सरकारों ने और केन्द्रीय सरकार ने भी अपेक्षित मात्रा में उसको पैसा दिया ताकि किसी प्रकार से यह संगठन चल पड़े । प्रारम्भ से ही मैं इस संगठन में था । लेकिन इस संगठन में इस प्रकार के कुछ व्यक्ति आ गए जिन्होंने आमदनी को तो देखा नहीं लेकिन खर्च की मात्रा एक दम से ही बहुत अधिक बढ़ा ली । एक समय ऐसा आया कि साठ हजार रुपये प्रतिमास का खर्चा था और पांच हजार रुपये प्रतिमास की आमदनी थी सरकारी धन लगा कर इतना अपव्यय किस प्रकार से चल सकता था ? परिणाम यह हुआ कि मुझ जैसे सदस्य के लिये वहां रहना भारी हो गया और मैंने बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज से अपना त्यागपत्र दे दिया । इस प्रकार के अपव्यय में मैं भागीदार नहीं हो सकता था ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

लेकिन मैं आज प्रसन्नता के साथ एक समाचार देना चाहता हूं । भले ही कुछ व्यक्तियों की राजनीतिक सेवा कितनी ही ऊंची रही हों, उनकी समाज सेवायें कितनी ही ऊंची रही हों, और मैं तो उनके आगे नत मस्तक होता हूं । लेकिन एक समाचार संगठन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की देर तक अव्यवस्था चले, मको सहन नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार की स्थिति जब बनी तो यह समिति बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हो गई । समाचार समिति के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज के चेयरमैन श्री श्रीप्रकाश जी हैं जोकि बम्बई के गवर्नर थे । दूसरे श्री जय प्रकाश नारायण हैं । तीसरे श्री अक्षय कुमार जैन हैं । चौथे श्री मोली चन्द्र शर्मा हैं । पांचवें डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी हैं। ये सब उसके सदस्य हैं । पहले जब वह चीज चर्चा का विषय बनी तो मैंने कहा कि मैं कम से कम इस समिति में नहीं रह सकता । लेकिन प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने दृढ़ता के साथ कुछ निर्णय लिये । कुछ लोगों की जिन की राजनीतिक सेवायें, सामाजिक सेवायें चाहे कितनी ऊंची थी, लेकिन जिन के कारण यह समिति बराबर घाटे में जा रही थी, उनको हाथ जोड़ कर कहा कि कृपा करके आप कुछ समय के लिए अलग हो जाएं, इस समिति को अपने पैरों पर खड़ा होने दें । जब वे हटे तो मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि उस समय समिति 37 हजार रुपये माहवार के घाटे में थी । उनके हटने के बाद इस समय यह समाचार समिति केवल 18 हजार रुपये महावार के घाटे में है । अब हिन्दी के टैलीप्रिंटर मिलने लगे हैं । उस समय नहीं मिलते थे । अब हिन्दी की टैली-प्रिंटर सर्विस शुरू होने के बाद अनुमान है कि तीन चार महीने में यह समाचार समिति अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी । कुछ निहित स्वार्थ वाले जो व्यक्ति थे और जो अलग अलग ढंग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थ, उनको जब अलग किया गया तो जा कर पार्लिमेंट के मैम्बर्ज से मिले और मिल कर उन्होंने गलत ढंग से पिक्चर को पेश किया, उन से प्रश्न करवाये राज्य सभा और लोक सभा में । जब देशी भाषाओं को विकसित करने के लिए आपके अपने संकेत पर, आपके अपने पुराने प्रधान मंत्री के संकेत पर एक समिति खड़ी हुई थी, तो उस में कहीं भी दोष किसी प्रकार का है तो आप उसका पता लगा कि दोष उनके समय के हैं या वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था के हैं । अगर कोई कर्मचारी सही न है और उसकी वजह से प्रबन्ध समिति उसको हटाती है और वह कर्मचारी इस तरह से कनवैसिंग करना फिरता है और इतनी बड़ी समाचार समिति की समाप्ति का प्रयत्न करता है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के व्यक्ति को किसी कोने से भी प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये । अगर अव्यवस्था है तो उसको निश्चित रूप से सम्भाला जाना चाहिये । लेकिन वह समाचार समिति जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होती जा रही है, उसको चर्चा का विषय बनाना और फिर इस प्रकार की उलटी चर्चा का विषय बनाना कि जो लोग पुराने हैं उनके दोष वर्तमान अधिकारियों के सिर पर मढ़ना मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है । श्री सत्य नारायण सिंह और श्री गुजराल दोनों मौजूद हैं । मैं चाहता हूं कि वे स्वयं जा कर अपनी आंखों से सारी चीजें देखें, कानों से केवलमात्र सुन कर निर्णय न लें । संसद् सदस्यों को भी मैं कहूंगा कि समाचार समिति जिसके कागजात हर एक के लिए खुले हुए हैं, उनको चल कर देखें और कोई दोष हो तो उनकी ओर संकेत करे । यह जो समिति बनी है और जो देशी भाषाओं में समाचार देती है, महाराष्ट्र के अन्दर मराठी में देती है, अभी उसने तमिलनाडु के अन्दर तमिल में अपनी सर्विस शुरू की है, इसको प्रारम्भ से ही समाप्त करने का यत्न करना, कोई उपयुक्त काम नहीं है । इसके सम्बन्ध में हम को गम्भीरता से निर्णय लेना चाहिये और अपने मस्तिष्क को खुला रख कर विचार करना चाहिये ।

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, पिछले 25 सालों से मेरा पत्रकारिता से नाता रहा है । स्वयं पत्रकार होने के नाते मुझे उन सभी कठिनाइयों और परेशानियों का पता है जो पत्रकार जगत में हमारे पत्रकार बंधुओं को, श्रमजीवी पत्रकारों को या सम्पादकों को अनुभव होती हैं । पत्रकारों के हितों की दृष्टि से कितना काम हुआ है मैं जानता हूं । मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा प्रेस कर्मचारियों, पत्र प्रतिनिधियों और सम्पादकों के बारे में जो विचार विनमय हुआ है और नीति परिवर्तन लक्षित हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं ।

मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि फ्री प्रेस की जो चर्चा चल रही है उसका अर्थ क्या है ? फ्री प्रेस का मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों द्वारा लगाया गया नारा है जो फ्री एंटर-प्राइज की बात किया करते थे । फ्री एंटरप्राइज जैसे हमारे देश में दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग के लिए एक खतरनाक नारा साबित हुआ है उसी तरह से यह फ्री प्रेस का नारा भी हमारे देश में खतरनाक साबित हो सकता है । फ्री प्रेस का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हमने संविधान में जो निश्चय किया है, जो शपथ ली है कि हम इस देश के नागरिकों को समाज-वाद की ओर ले जायेंगे, अच्छा खाना, कपड़ा और मकान मुहैया करेंगे और ऐसी समाज व्यवस्था लायेंगे जिसमें हमारा देश एक सम्पन्न और सुखी देश के रूप में आगे बढ़ सके, उस में यह सहायक सिद्ध हो सकता है । मैं समझता हूं कि यह जो ध्येय हमने अपने सामने रखा है इसको प्राप्त करने में समाचार पत्रों को महत्वपूर्ण योगदान देना होगा । प्रेस को थर्ड एस्टेट का नाम दिया गया है । अगर हम देश में एक नई समाज व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेस को एक शक्तिशाली और व्यापक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें और इस के सम्बन्ध में कुछ लोग कहें कि प्रेस की फ्रीडम समाप्त हो रही है, तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर कुछ पत्रकार और पत्रों के मालिक हमारे संविधान और उस के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों, समाजवाद और प्रगति की दिशा में बढ़ाये गये हमारे कदमों, इस देश में एक नये समाज की रचना, एकाधिकार और आर्थिक केन्द्रीकरण के अन्त के लिए किये गये हमारे प्रयत्नों का विरोध करते हैं और उसके लिए जनमत तैयार करते हैं, तो मैं अपना नाम उन लोगों में लिखवाने के लिए तैयार हूं, जो प्रेस के नारे का जबर्दस्त विरोध करते हैं । मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि फ्री प्रैस की बात कह कर हम पत्रकारों और पत्रों के सम्पादकों के विचार-स्वातंत्र्य का समर्थन कर रहे हैं । वास्तव में आज हमारे पत्रकारों और सम्पादकों के विचार-स्वातंत्र्य का प्रश्न ही नहीं उठता है । आज हमारे प्रतिभाशाली सम्पादक, संवाददाता और अन्य श्रमजीवी पत्रकार कहां फ्री हैं ? कहां है उनमें अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने की ताकत ? वे अपने विचारों को स्वतंत्रता-पूर्वक व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं ।

इसलिए उन प्रतिभाशाली सम्पादकों और पत्रकारों का अभिनन्दन करते हुए भी, जो आजादी के साथ अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे देश में समाचारपत्रों में जो एकाधिकार की प्रवृत्ति निरंतर जिस प्रकार बढ़ रही है और बड़े बड़े सम्पन्न लोग जिस प्रकार पत्रों के द्वारा अपने निहित स्वार्थों के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस से हमारे देश में एक क्रान्ति का प्रारम्भ हो रहा है और मैं समझता हूं कि उस क्रान्ति के माध्यम से हम देश में एक नये समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेंगे ।

प्रेस परिषद् की अवधि बढ़ाने का जो बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं उस का हार्दिक समर्थन करते हुए दो तीन बातें कहना चाहता हूं ।

छोटे और बीच के भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व प्रेस परिषद्

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

में नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि हमारे गांवों, छोटे छोटे कस्बों और विशाल भारतीय जन-जीवन में छोटे और बीच के भाषायी समाचार पत्रों का महत्व बहुत अधिक है। आज दुर्भाग्य से देश में अंग्रेजी के कुछ पत्रों के चेनमन पर अपना एकाधिकार किया हुआ है और ीय भाषाओं के पत्रों के प्रति हमारी उपेक्षा ासीनता के कारण उन्हें अधिक बलवान बनने का मौका अभी तक नहीं मिला है। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केरल और बंगाल में कुछ पत्र ऐसे हैं, जो अपनी भाषाओं में चोटी के और प्रभावशाली पत्र हैं और उन का बड़ा सम्मान है।

भारत सरकार और मंत्री महोदय बराबर यह घोषणा कर रहे हैं कि छोटे और बीच के समाचारपत्रों और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के साथ वह निरन्तर उदारता का व्यवहार करेंगे। मेरा निवेदन है कि वह अपनी इन घोषणाओं को जरा तेजी से अमल में लायें, ताकि हमारे देश में वह समय शीघ्र आये, जब कि हम इस देश के करोड़ों लोगों को उन की भाषा के माध्यम से अपनी बात सुना सकें और भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के माध्यम से उन के उभरते हुए जजबात और भावनाओं की, और देश में एक नया समाज बनाने की उन की आकांक्षा की, अभिव्यक्ति हो।

इस के साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे सम्पादकों, विचारकों और अन्य श्रम-जीवी पत्रकारों को प्रेस परिषद् में पूरी अभिव्यक्ति का ज्यादा अवसर दिया जाये और उस में उन का बहुमत हो। अगर इस देश में पत्रों को व्यवसाय की दृष्टि से निकाला जायेगा, अगर यहां पर पत्रों और पत्रकारिता का व्यवसायीकरण होने दिया जायेगा, तो उससे पत्रकारिता पर, और देश की जन-भावना की अभिव्यक्ति करने और देश को समाजवादी दिशा की ओर ले जाने के उस के महान लक्ष्य पर आघात होगा।

इसलिए एकाधिकार की प्रवृत्ति के खिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलन्द करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि छोटे और बीच के समाचार-पत्रों, और विशेषकर भारतीय भाषाओं के पत्रों, और समाचार-एजेन्सियों को सरकार की तरफ़ से प्रोत्साहन दिया जाये। मैं फिर कहना चाहता हूं कि फ्री प्रेस के नारे को फ्री एन्टरप्राइज के नारे की तरह समझता हूं। हमें इस से सावधान रहना है और देखना है कि देश में समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में प्रेस कितना उपयोगी और सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसी पर हमारे देश का नव-निर्माण निर्भर करेगा।

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे मौका दिया।

16 hrs.

SHRI C. K. CHAKRAPANI (Ponnani): Mr. Chairman, Sir, as the time is limited, I will confine myself only to certain important observations.

Before Independence, the Indian Press reflected certain sentiments of the people. It served the cause of the nation. But after Independence of the character of the Indian Press has radically changed in principle and practice. Now the industry is supporting the commercial and mercantile interests. Here I would like to quote something from the report of the Monopolies Inquiry Commission. This Commission was set up under the Chairmanship of Justice K. C. Das. He says:

> "We find it to be true that an appreciable section of the press is either owned or controlled by persons or corporations who are themselves big business, or closely connected with big business."

Again, they say:

"We have read many of the issues of the daily and weekly press which is within the control of these businessmen and we are inclined to think that in spite of the so-called 'Editorial Independence', these newspapers of financial journals do tend to prejudice the reader in favour of businessmen in general, and big business in particular."

This is the condition of the present day. The experience of the last 20 years is quite clear that they have done the opposite.

Now the Press Council is being controlled by big newspaper monopolies. Even the agencies of PTI and UNI are being controlled by the big monopoly press. The Press Council is expected to guarantee the freedom of the Press and a decent standard of journalism. What is the reality now? The reality is that the correspondents and editors are behaving themselves in their own way. Freedom of press does not mean licence to write anything and everything they like. For example, when the Police attacked the West Bengal Assembly, the UNI wrote that 5000 police men attacked the Assembly whereas only a few hundreds attacked the Assembly. UNI gave a false news and the AIR carried that news. This is the freedom of Press.

During the mid-term poll, all the reactionary press carried certain news. Of course, they had anti-Communist views. The reality was that in the mid-term poll quite the contrary had happened. I am pointing out all these things. The editors have no freedom now. The special cornespondents have no freedom now. One example was that this House had an occasion to discuss about the Editor of the *Times of India*. Even the late Prime Minister, Pandit Nehru, gave an assurance that no action would be taken against him, but, in spite of that assurance action was taken and he was sacked.

In this country so many papers are being financed by foreigners example, in my State, there is a vernacular paper by name Keralawani Its editor is is one deputy leader of the congress party. He has got Rs. 40 lakhs from America. (*Interruption*).

श्री प्रेम चन्द वर्मा : ऐसा कम्यूनिस्ट पार्टी में भी तो है

SHRI C. K. CHAKRAPANI: I want to know whether it is a fact.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अगर कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हैं तो सभापति महोदय, आप मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं रक्षा के पेपर्स का नाम लूं . . . .

SHRI UMANATH (Pudukkothai): In your turn, if there is any such evidence you may also put it forth.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : हम भी कहते तो हम पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। अगर यह इस तरह से कांग्रेस पार्टी पर अटैक करेंगे तो हमें भी इजाजत दीजिए ।

श्री मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों की बातों को मान लिया जाय ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वर्मा जी, क्यों घबराते है ?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : नहीं यह गलत है पार्टी का नाम न लिया जाय ।

SHRI C. K. CHAKRAPANI: The paper, Keraladwani got Rs. 40 lakhs from America. So many correspondents and so many editors are in the habit of getting lot of money from foreign countries. I hope with the new Bill which the hon. Minister has brought forward this evil will be checked. Thank you.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I would not take much time. When the real Bill comes we shall discuss about the merits of the Bill I have to avail the opportunity to utter a warning to the Government. The freedom of the press is almost in danger today. If freedom of press is in danger, if press becomes subjected to various attacks without being able to do objective reporting then there is a real danger to the basic concept of democracy. The attacks have been on the Press,—I should say—are four-ranged. One terrorisation on the Press, the second is, pressure of Government on the Press; the third is monopoly authority over the Press and the fourth is foreign influence. The foreign influence is eroding the morality of the Indian Press.

Sir, a few attacks on the Press took place in Calcutta and in Delhi. The Ananda Bazar Patrika, the Hindustan Standard, the Statesman office, all these offices were attacked by a section of the political elements because they did not like some kind of news that were published in these papers.

About the Rabindra Sarovar incident an inquiry is going on and because of reporting the proceedings of the court correctly, certain newsmen were terrorised and threatened. Some of those people were terrorised and threatened publicly by some political elements which resulted in the Press Club passing a Resolution condemning such terrorisation. Recently in Delhi Shri Krishna Menon, an orderly M.P. of this House, a responsible man, led a procession against the Statesman office, and burnt copies of the newspaper, Statesman. Such things happen in totalitarian countries whether such countries belong to fascist, militarist or communist ways. But in a democracy, freedom of press must be preserved and such kinds of terrorisation is totally against democratic principles and practices and also freedom of the press.

At a time when the Congress had monopoly hold over the Governments in the Centre and States they used to pressurise the newspapers through preferential distribution of advertisements. Such things are now being practised by United Front Government advertisements in which certain references are being given to the favoured press. This is very dangerous.

Many of the dailies and periodicals are controlled by the monopoly houses and cartels; I don't want to go into that in detail now, but want to remind the House that is one of the dangers.

Not only communist countries alone, but capitalist countries like USA are trying to corrupt Indian Press by offering money. Thus freedom of press is eroded. This is being done by some kind of financial allurement, or bribery, I should say. They are trying to influence the opinion of the Indan press.

If we have to preserve Indian democracy, the freedom of the press, which is ultimately its essence, has to be maintained. I think the Press Council can to a large extent help us in defending freedom of the press provided the selection of the personnel of the Council is proper. Although there have been certain criteria of selection laid down, unless the selection is properly done, the very purpose of setting up such Council may be frustrated. Unfortunately, the selection done last time does not truly reflect this consideration.

In the next Bill, I would request Government to see that the machinery of selection is prefect to ensure the object in view.

SHRI S. KANDAPPAN: There is not going to be a next Bill.

SHRI SAMAR GUHA: There have been a lot of complaints about the management of Samachar Bharati. The new managing committee have assured us that they will look into the matter. I want to ask why Samachar Bharati which is patronised by

government caters for only four Indian languages, Hindi, Marathi, Tamil and Gujarati. Why should it not be extended to cover other languages? I think Bengali is not an inferior language. I would request that they should circulate news in all Indian languages. Also the complaints made against Samachar Bharati by the working journalists should be looked into.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं दो तीन बातें ही कहूंगा । आज अखबार का जमाना है, प्रचार का जमाना है । आजकल अखबार का बड़ा भारी असर होता है प्रचार के मामले में जो बात अखबार में आती है हमारे देहात के आदमी तो ऐसे समझते हैं कि वह बिल्कुल जैसे कोई चीज फाइनल हो । चाहे वह ऊटपटांग और बिल्कुल झूठ बात हो लेकिन अखबार में निकल गई तो उस को सच समझ लेते हैं । आज ९० प्रतिशत आदमी देहात में रहते हैं । लेकिन यह जितने बड़े बड़े अखबारात हैं हिन्दी के उर्दू के और अंग्रेजी के वह शहरों तक ही खत्म हो जाते हैं । तो पहले तो मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह इस बात को गौर से सोच कर कोई हल निकालें कि हमारे 90 फीसदी आदमी जो इस अखबारी दुनिया से बिल्कुल कट आफ हो जाते हैं उनके पास तक ये डेली अखबार पहुंचने का बन्दोबस्त होना चाहिए। चाहे वह पंचायत के मातहत हो, चाहे स्कूल के मातहत या डाकखाने के मातहत या कम्युनिटी सेंटर्स खुल गए हैं, रीडिंग रूम भी खुल गए हैं, तो ये डेली अखबार वहां पहुंचने चाहिए चाहे वह हिन्दी के हों चाहे उर्दू के हों और अब तो अंग्रेजी के अखबार पढ़ने वाले भी गांवों में हो गए हैं । अब तो सैकड़ों ग्रेज्युट्स एक एक गांव में हो गए है । तो पहले तो यह डेली अखबार वहां पहुंचाने का बन्दोबस्त होना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इन अखबारों की जो पालिसी है वह बड़ी ऐन्टी रूरल, ऐंटी पीजेंटी और ऐंटी वीकर सेक्शन है । इस में जितने कारेस्पांडेंट्स हैं या दूसरे काम करने वाले हैं वह कुछ बुनियादी तौर पर ऐंटी देहात हैं । मैं उनकी नीयत पर हमला नहीं बोलता । लेकिन चूंकि सारे के सारे देहात में कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता नहीं जो यहां आ कर स्टेट्समैन में लग जाय, और इन लोगों का देहात से सम्पर्क नहीं होता जो उनमें लगे होते हैं इसलिए ऐसी बात है। कोई मेरे साथ का स्टीफेंस कालेज दिल्ली में पढ़ा हुआ बहुत अच्छी तालीम पाया हुआ है तो इन में एडीटर है । यह ठीक बात है कि वे पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, बड़े बड़े कालिजिज में पढ़े हैं, विलायत गये हैं, अमरीका गये है । उनके दिल में कभी कभी आता है कि गरीब आदमियों के बारे में भी सोच लिया जाय, लेकिन माहौल 24 घन्टे उन के दिमाग में नई दिल्ली का रहता है, बाहर के कारस्पौंडेंट्स से बात करने का रहता है, पार्लियामेंट का रहता है, जिससे उन को उस तरफ सोचने की फुरसत ही नहीं मिलती कि रूरल बैक ग्राउण्ड के आदमियों को भी मौका दिया जाय ।

यहां हम प्रोसीडिंग्ज में देखते हैं--जब भी देहात की बात आती है, किसानों और बैकवर्ड लोगों की बात आती है --उस के बारे में उन अखबारों में कुछ नहीं छपता । मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि अखबारों में बहुत से बेकार मसलों पर कालम के कालम शाया होते हैं, लेकिन देहात और गरीब किसान की बात का कोई जिक्र नहीं होता । यहां पर चाहे आधा घन्टे की बहस हो, काल-एटेन्शन हो या डिबेट हो उस ओर उस में देहात की बात आये तो अखबारों में उसको जगह मिलनी चाहिये । पहली बात तो मुझे आपसे यह अर्ज करनी थी ।

अब जहां तक इसके नेशनल प्रापर्टी होने की बात है, इस का नैशनलाइजेशन करना है या नहीं करना है, मैं तो इस हक में हूं कि यह इण्डीपेंडेंट होना चाहिये, लेकिन

[श्री रणधीर सिंह]

ऐसी इंडीपेंडेंस के क्या मायने, जिसमें 90 फीसदी आदमियों का जिक्र ही न हो, सिर्फ 10 फीसदी आदमियों का सुबह से शाम तक ढोल पीटते रहना इंडीपेंडेंस मेरी समझ में नहीं आती है । मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब उनको समझायें कि यह देश गरीबों का है, किसानों का है, 90 फीसदी न सही, 70 फीसदी, 60 फीसदी, कुछ तो उनके बारे में कहें ।

दूसरी बात में यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो छोटे अखबार हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है । किसी ने अपनी लीडरी कायम करने के लिये अखबार चला लिया, किसी ने डाक्टरी चलाने के लिये अखबार शुरू कर दिया, किसी ने ढाबा खोला तो अखबार चला लिया, गर्जकि स्टेण्डर्ड बिलकुल खत्म हो गया है और खबरें निकलती हैं—फलां की भैंस ने कटड़ा दिया है, फलां की बारात में इतने बराती गये—यह बात इन छोटे अखबारों में आ गई है । जब तक जेब में गर्मी रही एलार्म बोलता रहा, चन्दे के पैसे मिल गये अखबार चलता रहा, नहीं तो बन्द हो गया । अमरीका से पैसा मिल गया, अखबार चलता रहा, वर्ना बन्द हो गया—यह हालत आज लोकल अखबारों की है । मेरी नीयत उन पर हमला करने की नहीं है, लेकिन वे आदमी इस काम में आगे नहीं आते, जो सही जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं । एक तरह से जर्नलिज्म को बदनाम किया जा रहा है । इस लिये मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि खुदारा मेहरबानी कर के, ऐसे अखबारों पर पाबन्दी लगाइये जो अपनी दुकान चलाने के लिये या अपनी लीडरी चमकाने के लिये अखबार चलाते हैं । ऐसे लोग समाज और देश पर लानत हैं । ऐसे आदमियों को अखबारों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बन्द कीजिये ।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अखबारों पर सरमायेदारों का कब्जा हो गया है । मैं नेशनलाइजेशन की बात नहीं कहता लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अखबार देश की लाखों गरीब जनता की बात लिखें, आप चाहे इनके लिये ट्रेनिंग क्लास बनाइये ताकि इनके दिमाग बदलें, ताकि सही ख्याल के लोग इनके अन्दर आयें, देश की गरीब जनता और देहात के लोग उन एजेन्सीज में आयें और वे देहातों की बातें अखबारों में छापा करें ।

मैं, चेयरमैन साहब, बहुत मशकूर हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं चाहूंगा कि यह प्रिव्लेज्ड क्लास जो आज मुल्क में बन गई है, अखबारों से इनका दायरा टूटे और गरीब जनता वहां तक पहुंचे और जितनी भी बातें इस संसद् में उन गरीबों के बारे में होती हैं वे उन अखबारों में छपें । यहां पर दोनों मंत्री इस वक्त बैठे हुए हैं—एक तो किसान का ही बेटा है और दूसरा एक इन्कलाबी का बेटा है । आप सोचिये कि किस तरह से इन अखबारों में 90 फीसदी देहात के गरीबों, किसानों, मजदूरों, हरिजनों और बैकवर्ड क्लास के लोगों की बातें आयें और अगर वह न छापें तो इन का कान पकड़ें, गरदन दबोचें । इस से उनकी इंडीपेंडेंस खतरे में नहीं पड़ेगी ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) सभापति जी, समय कम है, इस लिये मैं बहुत जरूरी चीजें ही आपके सामने रखना चाहता हूं । देश में प्रेस स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिये प्रेस स्वातन्त्र्य के विकास के लिये भारत के इतिहास का तकाजा है कि 10 हजार से ऊपर जिस अखबार की बिक्री है, उस का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय । चाहे वह दैनिक हो, साप्ताहिक हो या मासिक हो और जो मान्य पार्टियां हैं देश के संविधान के मुताबिक उन के अखबारों को उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार अपने बजट में से सब्सिडी दे और वह सब्सिडी पांच लाख रुपया सालाना के हिसाब से होनी चाहिये ।

इस से पार्टियों के अखबार ऊपर जायेंगे और मुनाफाखोरी वाले अखबार, जो प्राफिट पेपर्ज हैं, वे दब जायेंगे । यह इस लिये जरूरी है कि आज प्रेस एक एन्टरप्राइज हो गया है । आज प्रेस का वह आदर्श खत्म हो गया है—जब कि गेटनबर्ग ने छापेखाने की शुरुआत की थी और उस समय प्रेस की आजादी के सवाल को लेकर लड़ाई हुई थी । जार्ज पीटर जौन ने अमरीका में लड़ाई कर के अमरीका को आजाद कराया, टाउन सड ने लड़ाई लड़ी, लिड बर्ग ने इंग्लैंड में लड़ाई लड़ी—यह सब प्रेस की स्वतन्त्रता के लिये हुआ, लेकिन आज वह आदर्श खत्म हो गया है—चाहे हिन्दुस्तान हो, इंग्लड हो, अमरीका हो सब जगह ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है । इग्लैंड में जब लेबर पार्टी पावर में थी, उस ने, "रायल कमीशन आफ़ प्रेस" बहाल किया था, जिसने प्रेस की स्वतन्त्रता की जांच का काम किया और उस का यह निराकरण निकला कि ब्रिटेन में अब प्रेस स्वातन्त्र्य नहीं है । प्रिट ने कहा था—

"The British press is the most prostituted press in the world; most of it is owned by gangs of millionaires pumping poison into the public mind day after day and week after week."

वही अमरीका की हालत है, वही हिन्दुस्तान की हालत है । यह जो मुनाफाखोरी का प्रेस है—सेन्शेसनलिज्म इस की खुराक है, सेसेंशनलिज्म से क्या होता है—इस का सर्कुलेशन बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ने से एडवर्टिजमेन्ट बढ़ता है, उस से पैसा आता है, प्राफिट बढ़ता है—ये एक दूसरे पर इन्टरडिपेन्डेन्ट हैं । हैरल्ड लास्की ने कहा था मौजूदा प्रेस मोशलिज्म में पूंजीवाद का प्रतिबिम्ब है । इस में परिवर्तन नहीं आ सकता, जब तक यह पूंजीवादियों के हाथ में रहेगा । इस लिये हिन्दुस्तान के मौजूदा प्रेस को, जो पूंजीवादी प्रेस है, इस को सही रूप में आजाद कराने के लिये इस का राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

सभापति महोदय, ऐसी बात नहीं है चूंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, इस लिये राष्ट्रीयकरण की हवा चल गई है । आज से वर्षों कब्ल, 1953 में, आज से 16 साल कब्ल जब मैं कैलेफोर्निया विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, वकले में, तब मैंने एक रिसर्च पेपर तयार किया था —concept of planned press

उस में मैंने साफ तौर से कहा था कि प्लैंड प्रेस हो, पार्टी का प्रेस हो और इसी आधार पर मैंने एक विधेयक भी सदन में पेश किया है preserve and protect the freedom of the press.

जिसमें मने यह कहा है कि यहां पर प्लैंड प्रेस हो, पार्टी का प्रेस हो ।

16.22 hours

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair.*]

मने ता० 21 को यहां पर सवाल किया था, उस में सरकार की तरफ से जवाब आया है—

"Government do not think that nationalisation of the major newspapers is compatible with the freedom of the press; nor is it proper remedy for correcting monopolistic trends of the press."

सभापति महोदय, मुझे यह जबाब मंत्री जी से मिला । मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंत्री जी को न प्रेस स्वतन्त्रा का ज्ञान है; और न राष्ट्रीयकरण का ज्ञान है । ऐसे ही लोग पहले बैंको के राष्ट्रीयकरण से घबराते थे, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो आज ढोल पीटते है । कल यदि प्रधान मंत्री आदेश देती है कि प्रेस का राष्ट्रीयकरण करो, तब फिर यही लोग ढोल पीटेंगे ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का प्रेस दूसरे शब्दों में बुर्जुआ यैलों-प्रोस्टीचूटेड प्रेस है । आज हम लोग देखते है कि जब हम यहां पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनका प्रकाशन इन अखबारों में नहीं होता है, वे खबरें इन अखबारों में नहीं छपती हैं, लेकिन अगर यहां पर हो-हल्ला हो जाये,

[श्री शिव चन्द्र झा]

मैं चप्पल उठा दूं तो वह बात कल ही अखबारों में छप जायेगी। मैं जैफर्सन की बात यहां पर कहना चाहता हूं-उसने कहा था- अगर मुझे आजाद प्रेस और अच्छी सरकार में से चुनने की जरूरत हो, तो मैं आजाद प्रेस को चुनूंगा। यह उचा आदर्श था- लेकिन आज वह आदर्श समाप्त हो गया है, प्रेस बिजनेस बन गया है, प्रोफिट मेकिंग ऐंटरप्राइज बन गया है। मैं इसके केन्द्रीयकरण की बात में नहीं जाना चाहता हूं क्यो कि महालोवोनिस कमेटी, प्रेस कमीशन और मोनोपाली कमीशन ने इस बात को साफ कह दिया है कि केन्द्रीयकरण का सिलसिला चल रहा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यह प्रेस की स्वतंत्रता के लियेकुठाराघात है। यह जो प्रेस कौंसिल है, जिसके आदेश हैं Press Council of India—A Brief Study, by the Lok Sabha Secretariat.

इस में इसके फंक्शन के बारे में कहा जाता है

"Freedom of the press to help the newspapers to maintain their independence, and to build up a code of conduct...." etc., etc.

यह सब कोई काम नहीं हुआ है। इस प्रेस कौन्सिल की जो बाडी है, बिल्कुल इनएफैक्टिव बाडी रही है, इस ने कुछ नहीं किया है। मैं तो यह पसन्द करूंगा कि इस को लिक्वीडेट कर दिया जाये, डिजोल्व कर दिया जाये।

यह बिल प्रेस कौसिल के मुताल्लिक है लेकिन जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता को बढाने की बात है, इस सिलसिले में यह बिल्कुल ही इफैक्टिव रहेगा। मैं चाहूगां कि सरकार इस बिल को वापिस ले और सारे प्रश्न पर नये सिलसिले से विचार कर के फिर से यहां पर बिल को पेश करे। स्वतंत्र प्रेस एक बहुत बड़ा हथियार होता है बल्कि आखिरी हथियार होता है। अगर प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहती है तो हम दूसरी आजादी को भी हासिल कर सकते है। इस बिल की जो बनावट है उसमें उपर से नीचे तक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अभी यह बिल बिल्कुल इनऐफक्टिव है। इन शब्दो के साथ ही मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री मीठालाल मीना (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का होना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है देश की स्वतंत्रता को अगर अमर रखना है तो निश्चित रूप से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी रखनी होगी। आजकल देश में जो स्थिति चल रही है उसमें एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। किसी भी समाचार पत्र को हम देखेंगे तो सरकार का प्रचार करने के अलावा और कोई बात उसमें नहीं होती है। आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिये उसमें इंदिरा गांधी की सरकार का प्रचार करने के अलावा सरकार के खिलाफ किसी एक व्यक्ति का विचार, वक्तव्य या कोई समाचार नहीं होता है। दूसरी तरफ सरकार इस बात का भी दबाब डालती है कि अगर किसी भी तरह की कोई बात सरकार के खिलाफ छपी तो समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। अगर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है तो निश्चित रुप से भारत की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। समाचार पत्रों के द्वारा एक तरह से जनता के बड़े बड़े विचारकों की भावनायें एक दूसरे के पास पहुचती है। लेकिन जो गलत प्रकार के समाचार पत्र आज चल रहे है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। आजकल देश में काफी अश्लील समाचार पत्र चल रहे हैं जिनको इस युग में देखना तक गुनाह है। पहले आगरा से आजाद लोक नाम से एक पत्र निकलताथा, उसको सरकार ने बन्द कर दिया है लेकिन अब आलोक के नाम से वह निकाल रहे है। उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है।

जो अखबार सरकार की मुखालिफत करते है उनको सरकार की ओर से विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। जो समाचार पत्र सरकार की ढोल पीटते है उनको अंधाधुन्ध विज्ञापन दिये जाते है सरकार को समाचार पत्रों पर इस तरह से हावी नहीं होना चाहिये कि उनमें सिर्फ

सरकार कीही बात आवे और कोई दूसरी बातें न आने पायें। कई समाचार पत्रों को विदेशी धन भी बहुत मिलता है। जो पैट्रियेट अखबार है उसको अरुणा आसफ अली ने 30 लाख रुपया दिया। लेकिन वह रुपया कहां से आया, इस बात की जांच नहीं की गई। पैट्रियट जैसे अखबारों को रशिया से पैसा मिलता है। इन बातों की जांच होनी चाहिये। दो दिन पहले समाचार पत्रों में प्रधान मंत्री का एक बड़ा फोटो देकर एक विज्ञापन छपा था लेकिन उसके लिये पैसा कहां से आया, उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा कहना है कि इन समाचार पत्रों को अपनी वाणी स्वतंत्र रखने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई गलत दबाव नहीं पड़ना चाहिये और इस बात को कभी भी नहीं सोचना चाहिये कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये अगर उनका राष्ट्रीकरण कर दिया गया तो समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वह बिलकुल ही समाप्त हो जायेगी।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि कोई पेपर अगर सरकार की सही आलोचना करता है, उस पर सरकार अगर एक्शन ले ले तो फिर समाचारपत्रों की कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती। वैनेट कोलमेन के श्री कुन्ते जी चैयरमेन थे लेकिन उनको सिर्फ इसलिये हटना पड़ा क्योंकि वे सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्ति थे। इसलिये अखबारों को बिल्कुल स्वतंत्र रखा जाये। उन पर सरकार का या किसी सरकारी पदाधिकारी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। और उनका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिये। समाचार पत्रों को स्वैच्छा से खुले आम स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहने का पूरा-पूरा अधिकार होना चाहिये।

श्री वि० प्र० मण्डल (मधेपुरा) : जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इसका बहुत लिमिटेड स्कोप है—सिर्फ इतना ही है कि प्रेस कौंसिल के चेयरमैन और प्रेस कौंसिल के मेम्बर्स के टर्म्स आफ आफिस को-टर्मिनस करें। लेकिन इस के साथ साथ मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है कि दूसरे सत्र में वे एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायेंगे, हम उसका इंतजार करते हैं। उसी के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव अपनी तरफ से देना चाहता हूं। भारतवर्ष में आजादी के पहले अखबारों का जो स्टैंडर्ड देखने में आता था, आजादी के बाद अब वैसा स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बिहार राज्य का उदाहरण दूं। माननीय मंत्री जी शायद इस सम्बन्ध में हम से अधिक जानते होंगे कि बिहार में पहले एक अखबार निकलता था सर्चलाइट, जो कि अभी भी निकलता है। उसके एडिटर लेट श्री मुरली मनोहर प्रसाद थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र विचार लिखे थे जिसके कारण उन पर कन्टेम्ट आफ कोर्ट केस चला था और उस समय स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू को जाकर डिफेन्ड करना पड़ा था। स्वराज्य के बाद भी सर्चलाइट के एक एडिटर को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें छापी थीं जो कि उस समय बिहार की सरकार को मंजूर नहीं थीं। एक दूसरा अखबार है इंडियन नेशन। जहां तक उसकी पालिसी का सवाल है, अगर ऐसा ही स्टैंडर्ड रहे तो मैं नहीं समझता प्रेस कौंसिल में भी उनका स्टैंडर्ड बदलेगा। जो भी गवर्नमेंट में चला जाये पहले तो उनके खिलाफ रहेगा और जहां देख लिया कि स्टेबिल गवर्नमेंट हो गई तो चेंज हो जायेगा। इतना ही नहीं, बिहार में हिन्दुस्तान के और राज्यों की तुलना में हम कास्टीज्म से ज्यादा सफर करते हैं। इंडियन नेशन का जो मैनेजमेन्ट है, यह मंत्री महोदय के जिले का मामला है इसलिए वे ज्यादा जानते होंगे कि एक बड़े नेता कांग्रेस के थे जिन्होंने कि अब अलग एक छोटी सी पार्टी खोली है—वे अगर चोरी भी करेंगे तो इंडियन नेशन कहेगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन वही काम अगर कोई दूसरा साधू का भी करे तो चूंकि सारे बिहार में उसका सर्कुलेशन है—वह प्रचार करेगा कि इन्होंने

[श्री वि० प्र० मंडल]

चोरी का काम किया है। तो यह हिन्दुस्तान के अखबारों का स्टैंडर्ड है। लेकिन साथ साथ मैं यह भी कहता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे भी अखबार है और ऐसे जर्नलिस्टस् है जिनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये।.... (**व्यवधान**)..मैंने उदाहरण के तौर पर बिहार के दो अखबारों का बताया। मैं समझता हूं मंत्री जी इससे कंविन्स्ड हैं कि इस तरह के अखबारों की और जर्नलिस्टस को कभी भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये और उनमें सुधार किया जाना चाहिये।

माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया, समाचार भारती और साथ ही साथ हिन्दुस्तान समाचार, ये दो समाचार ऐजन्सीज इस देश में ऐसी है जो कि भारतीय भाषा में समाचार प्रसारित करती है। हर प्रकार से इन दोनों एजेन्सीज को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि स्वराज्य का कोई मतलब नहीं होता आजादी का कोई मतलब नहीं होता यदि हिन्दुस्तान की अपनी भाषाओं में समाचार न मिलें। इसलिये मैं कहुंगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। मैं उम्मीद करता हुं कि दूसरे सत्र में जब दूसरा बिल आयेगा तो वह काम्प्रिहेंसिव होगा और उसके द्वारा हिन्दुस्तान के अखबार वास्तव में जनता के विचारों को प्रदर्शित कर सकेंगे। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): Sir, I am grateful to you and to the House.... (*Interruption*)

श्री यशपाल सिंह : आज मंत्री महोदय हवाई जहाज से नहीं उतरे है और हम इंगलैंड में पैदा नहीं हुए है। इस लिये वह हिन्दी में बोलें, मदरी जबान में बोले।

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय सदस्य इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, लेकिन यहां बहुत से सदस्य ऐसे है जो अंग्रेजी में समझते हैं।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां प्रेस कौंसिल के मुताल्लिक जो बात चली उसमें बहुत से मेम्बरान ने हिस्सा लिया। उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिये मैं उनका मश्कूर हूं। बहुत सी बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया। मैं एक एक करके उन के मुताल्लिक कहने की कोशिश करूंगा।

सबसे पहले तो श्री यशपाल सिंह ने एतराज किया, और दूसरे साथियों ने भी, कि इस बिल को लाने में देरी क्यों हुई, हमें आर्डिनेन्स क्यों पास करना पड़ा। हमारा ख्याल था कि जब पालियामेंट के मेम्बरान की कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम इस हाउस में पूरा बिल लाय। लेकिन मुश्किल यह हो गई कि मेम्बरान कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अखबार वालों से, अखबार के मालिकों से, अखबारों में काम करने वालों से, छोटे अखबार वालों से, मीडियम अखबार वालों से और बड़े अखबार वालों से, बारी बारी बात करनी थी और बात करने के बाद इस राय पर पहुंचने का विचार था सरकार का कि आया कौन सी बात ऐसी है कि जो मानी जा सकती हैं। और कौंसी ऐसी है जो नहीं मानी जा सकती ह इस चीज में कुछ देर लग गई। देरी के साथ साथ यह बात ध्यान में आई कि प्रेस कौंसिल के चेअरमेन और मेम्बरों का टर्म आफ आफिस खत्म हो रहा है, इस लिए आर्डिनेन्स लाना पड़ा। आर्डिनेन्स को लाने में सरकार को कभी खुश नहीं होती, लेकिन कई दफे मजबूरी होती है जिस की तहत आर्डिनेन्स लाना पड़ता है। इसी मजबूरी में इसको भी लाना पड़ा। लेकिन अगर इसके लिये कोई यह राय बनाये कि यह अन-

डेमाक्रेटिक बात है तो यह गलत है क्योंकि कोई भी आर्डिनेन्स आता है तो इस बात की तहत आता है कि उसके ऊपर पार्लियामेंट का क्या नुक्ते नजर है। हाउस जो फैसला करता है वही कानून बनता है इस देश का क्योंकि सबसे बड़ी और ऊंची जो बाडी है वह यह हाउस है और उसकी तहत....

SHRI S. KANDAPPAN: There is a difference. I am sorry, you cannot even differentiate between it being formulated as a Bill and it being brought forward in the form of an Ordinance. When it is brought forward in the form of an Ordinance, it is a *fait accompli* and you come here for ratification.

SHRI I. K. GUJRAL: What I am trying to say is that it was only under these difficult circumstances and most reluctantly that we brought the Ordinance.

SHRI S. KANDAPPAN: The report was submitted in.... (*Interruption*)

SHRI I. K. GUJRAL: The report was submitted to us and was examined by the Ministry. After examination it was decided that we should be able to discuss it with the various concerned interests; for instance, the editors' body, the IENS, the small newspapers, the medium newspapers, the big newspapers, the workers, the working journalists and also the Press Council itself. This process of consultation took longer than what we thought it would.

It was our original programme that in this very session we would bring forward a comprehensive Bill, but since this process of consultation could not be completed, we had to defer that to the next session. I can assure the House that we will bring forward the comprehensive Bill in the next session.

The very limited purpose for which this Bill has been brought forward is to make the term of the Chairman and the members of the Council, as recommended by the MPs Committee, coterminous. Therefore we have extended the term up to 31st March and I can assure the House that we will not come back for further extension of this because in the next session we will bring forward a comprehensive Bill.

As I said earlier, I am grateful to the Members and friends who have taken part in this debate and have given their worth while suggestions. One of the things which is concerning all of us is the freedom of the press and I am glad that this House expresses time and again its concern for this because not only this House but this nation and this Government are committed to the freedom of the press. We have, with great deal of deliberation, provided in our Constitution, as one of the fundamental rights, that there shall be freedom of the press. Therefore for anyone to doubt and even to debate that there can ever be an effort of our Government to usurp it, is being unfair to the Government. As a member of the Congress Party and of this Government, I can say, as I have said earlier, that for us freedom of the press is not a matter of policy but is a matter of commitment. Therefore, even if I have to repeat, I would take this chance for saying that feedom of the press to us is a matter of a basic commitment and we will preserve it with all our might. We would also try, at the same time, to understand what are the quarters from where the freedom of the press is endangered. The time is now past, when orlginally the freedom of the press was conceived, the danger used to be from the kings and the sovereigns. At that time, naturally, it was felt that any king or sovereign could interefere with the freedom of the press. Therefore, the freedom of the press was always in danger from that quarter. But today things are changing Democratically-elected Governments responsible to the Parliament can never afford to go beyond what is provided in the

[Shri I. K. Gujral]

Constitution. Not only that. Any democratically-elected Government . .

श्री शिव चन्द्र झा : कांस्टिट्यूशन विधान से बदल जाता है या नहीं ? मगर वह कहते हैं कि संविधान में कहा गया है इसलिये नहीं हो सकता । इस पर आप विचार करें . . . . .

SHRI I. K. GUJRAL: The ideology of my friend may be that. To him, the freedom of the press does not matter. But the ideology of my Government and my party is that we stand committed to the freedom of the press. Therefore, it may be a basic difference between his party and my party. But so far as our party is concerned, the freedom of the press is a matter of commitment.

SHRI SHIV CHANDRA JHA: You do not stand for the freedom of the press. You stand for the bourgeois freedom of the press controlled by the bourgeois.

SHRI I. K. GUJRAL: To Mr. Shiv Chandra Jha, it may be a matter of understanding intellectually what the freedom of the press is. To me, it is also a question of emotional commitment because it is not a question of understanding the freedom of the press which we all do but we also believe that the freedom of the press is essentially and basically must for democracy to survive. I do not know how much sympathy Mr. Jha has for democracy . .

श्री शिव चन्द्र झा : जेफर्सन पढ़िये , टोमपेन पढ़िये, लिलबर्न पढ़िये, जान पीटर जैगर पढ़िये, मिल्टन पढ़िये । यह सब के सब इसी आदर्श पर रहे हैं ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : यह किसी हिन्दुस्तानी की किताब का हवाला नहीं देते हैं । बाहर की किताबों का देते हैं ।

श्री शिव चन्द्र झा : तिलक पढ़िये, गांधी पढ़िये ।

MR. CHAIRMAN: Order, order. Only if the Minister yields, you can make this kind of a statement. The Minister is not yielding. Two Members cannot speak at the same time.

SHRI I. K. GUJRAL: Mr. Jha is a very learned person and, I hope, he has read the books and authors he has mentioned and, I think, he has not only mentioned the names.

SHRI SHIV CHANDRA JHA: You can read my book also.

AN HON. MEMBER: He is an author also.

MR. CHAIRMAN: The House should not be a propaganda forum for that.

SHRI I. K. GUJRAL: Sir, you have rightly advised him that he should not propagate his books here. But I would say he should try to read books of others also. It will do him good. My senior colleague reminds me that I should convey to Mr. Jha that he has perhaps read "Paradise Lost" more carefully than "Paradise Gained".

I would only come back to the point to say that the Press Council, I feel, has done good work although some friends have felt it has not gone far enough. I think, when the Press Council Bill is amended, it will be in a position to go ahead more than the extent to which it has gone now.

Sir, I will not take the time of the House for giving the figures to show what work the Council has done uptil now. Perhaps this would suffice to say that the Press Council has handled 82 complaints against newspapers and 7 cases of threat to the freedom of the press upto June; 1969. This compares very favourably with the record of the British Press Council which dealt with less than 20 cases in a year during the first six

years of its existence. This example I am giving so that I can pass on to the next point.

We have discussed the freedom of the press. But, I think, the time should be taken in this House and elsewhere also to see what are the problems of the press and what really ails the press.

Sometime back, under the auspices of the All-India Newspapers' Editors Conference, a seminar was held on the subject "What ails the Indian Press". I am only quoting the opening paragraph of the President of the All-India Newspapers Editors Conference who said:

> "Is the Indian press really ailing? I for one have no doubt that it is. I am of the view that in the last 21 years since Independence Indian press has remained stagnant and lost its idealism, and in this process, it is told, it has failed to reach the new heights of achievement and performance."

This, I think, is the basic issue. What are those factors which have contributed to containment of this struggle for excellence? I think, one of the basic difficulties that have come in the growth of the press is the monopoly press itself. Therefore, when I talk against monopoly and its growth and its hold on the press, I am not doing so in the fervour of any dogma but I am doing so in the interest of the press itself because, I think, that the press can neither be free nor independent in the right sense of the word so long as a few industrial houses manage to grapple the freedom of press and hold it to their own interest. Some friends have suggested here that perhaps Government is interested in furthering their interests and furthering their hold. In a way I am glad that this should have come from my friend, Shri Hardayal Devgun because coming from his Party and particularly when Mr. Kanwar Lal Gupta was absent, I really feel that Mr. Hardayal Devgun has raised a feeble voice from his Party, but considering what their attitude has been of late, on any social reform and about the role of big business, I think, Mr. Devgun's thinking will expand further and spread further in his Party, and sometime or other, he will take up the ideology being spread by Mr. Kanwar Lal Gupta, so that in his Party also, more social commitment comes in. Therefore, I compliment him . . .

SHRI HARDAYAL DEVGUN: Our Party stands for social justice more than your Party does.

SHRI I. K. GUJRAL: I accept Mr. Devgun's concept of social justice which includes non-nationalisation of banks because social justice means social justice for those few. I know, this is not his philosophy. It is Mr. Kanwar Lal Gupta's which has prevailed against his own pleading in the Party. Anyway, I will not get into that argument. This crisis today is . . .

SHRI HARDAYAL DEVGUN: If nationalisation does bring social justice and uplift of the poor, it is allright . . .

SHRI I K. GUJRAL: I am glad that Mr. Hardayal Devgun is giving a turn to his Party's Policy.

It is not only that the supremacy of the editor must be established, but it is also very important that some social steps must be taken to see that the editor is the supreme person in the press and not the press-owner because as long as the freedom of the owner is used, the difficulty will always remain, and the press will never be free unless we are able to lift this from the freedom of the owner itself and re-establish the supremacy of the editor. In good

[Shri I. K. Gujral]

old days when we were fighting for freedom, press was the source of enlightenment, press was the source of inspiration; it was primarily because the editor was supreme. The editor was working hard; he had hard circumstances; he had nothing to live on; yet, he inspired the nation to fight for freedom. When he inspired us we also knew his own example. But things have changed now; the press has become different. The investment in press has become big and since it has become big, it has also created new problems. Unfortunately, though technology is a good thing, the technological growth has made it imperative that there should be more investment in the press itself. Since it calls for more investment, there is the difficulty that a few persons control the press. Today editors are better paid if they do not write fearlessly as they used to. I hope, with the help of the House, with the help of Parliament, we would be able to evolve a system whereby the freedom of press becomes synonymous with the freedom of editor. In some countries, particularly in Scandinavian countries . .

SHRI C. K. BHATTACHARYYA: Editor-proprietor is completely different from proprietor-editor. I am in favour of editor-proprietor and not proprietor-editor.

SHRI I. K. GUJRAL: I am totally in favour of editor-properietor and not in favour of proprietor-editor. Unfortunately, in the Joint Committee's report, they have not given any place in the Council for editor-proprietors. We shall discuss further details about this when we come to discuss the report itself.

As I was saying, in some of the European countries like the Scandinavian countries and West Germany, they have been able to evolve a system whereby the appointment and dismissal of the editor are not subject to the whims of the owner of the newspaper. I think if not anything else, at least this much should be done by us. We should be able to assure an editor, in whichever press he is working, of his independence. He should be assured of his job. He should be assured that nobody else can sack him except his own professional ethics.

A suggestion has been made and a reference has been made to pseudo-editors and I know one of the difficulties with big Press is that some people who have nothing to do with journalism at all are now writing as editors. These pseudo-editors also are a great menace to the freedom of Press and we must guard against that as well.

The other point which I would like to make is that in order to put the small press and the medium press on a proper footing, the Government is trying their little bit. I do not say that we have done much, but something we have done. We have evolved a policy about distribution of newsprint to them. We have made a policy to give them more advertisement. We are also now trying to set up a Newspaper Finance Corpotion.

श्री शिव चन्द्र झा : बेकार होगा, पैसे की फिजूलखर्ची होगी, धांधलियां होंगी, फेवरिटिज्म होगा, नैपोटिज्म होगा ।

SHRI I. K. GUJRAL: If my hon. friend, Mr. Jha, feels that it is wastage of money to help the small and medium size newspapers, I can only tell him that I think the risk is worth taking.

Therefore, we have thought on the recommendation of the Press Council itself that a Newspaper Finance Corporation should be set up and I am hoping that in the next session we will be able to bring forward a Bill for this purpose.

श्री रणधीर सिंह : प्रेस काउंसिल में देहात के कितने आदमी होंगे । अस्सी परसेंट लोग देहातों में रहते हैं ।

SHRI I. K. GUJRAL: The Press Council is not Agricultural Council.

श्री रणधीर सिंह : प्रो पैजेंटरी, प्रो रूरल एरियाज़ हों ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : जो नीति आपने स्माल न्यूजपेपर्ज के बारे में बनाई है, क्या आपने कभी यह देखा है कि उस पर अमल होता है या नहीं होता है । मैं कह सकता हूं कि उस नीति पर अमल नहीं होता है । स्माल न्यूजपेपर्ज की कोई सुनता नहीं है । मशीनरी आदि के लाइसेंस सारे के सारे बड़े अखबारों को दे दिये जाते हैं ।

SHRI I. K. GUJRAL: Now, it is difficult for me to reply in sweeping terms as my friend can make allegations sweepingly. He says that our entire policy is not being implemented. He should bring to my notice any particular instance where our policy has not been implemented. I think I will be able to satisfy.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): Sir, the Government is giving all their advertisements to the monopoly press. I own a small newspaper and I know personally.

SHRI I. K. GUJRAL: I do not have the full picture here regarding his newspaper.

SHRI E. K. NAYANAR: You do not give any advertisement to small newspapers.

SHRI I. K. GUJRAL: Please give me a chance, I will tell you. I do not have the figures here. I have replied to a number of questions in the past that approximately 60 per cent of our advertisement budget in the Directorate of Audio-Visual Publicity is given to small and medium newspapers..

SHRI E. K. NAYANAR: From my own personal experience I speak.

MR. CHAIRMAN: I think particular cases may be taken up separately with the Minister if there are such cases.

SHRI E. K. NAYANAR: His facts are not correct.

MR. CHAIRMAN: You may bring it to the notice of the Minister and he may look into it.

SHRI I. K. GUJRAL: Another facility which we are now going to extend to the small and medium newspapers, as recommended by the Diwakar Committee, is that we intend to start broadcasting through the All India Radio dictation speed news bulletins. The small and medium size newspapers which are not in a position now to contribute to a news agency will be in a position now to get news so that they can print in their own press as they like. These dictation speed news bulletins will be started soon.

Another point was made in that House and here also that we should be able to decide as to who are the working journalists. This is often a matter of dispute and discusion. A suggestion was made that we should be able to maintain a register of working journalists in Indian newspapers so that such an authoritative list is available with Government. Goverment is considering this suggestion very sympathetically and I hope we will be able to come to some conclusion in the near future.

SHRIMATI ILA PALCHOWDHURY Small newspaper find difficulty about the newsprint. What are the Government doing about that?

SHRI I. K. GUJRAL: I think the newsprint being given to small newspaper is quite enough. They are, in fact, more than sufficient for their needs. They may not be able to con-

[Shri I. K. Gujral]

sume even what is being given to them. The newsprint policy is in favour of small and medium newspapers.

Another subject that has been engaging the attention of the Government is the freedom of the press, Press Council, its working, growth of Press, growth of monopoly etc. These have been causing concern to every thinking Indian. The Press Commission was appointed 15 years ago and I think a time has come perhaps that another Press Commission should be set up so that this issue can be re-examined. We can examine how far we have gone since the first Press Commission reported and which way we should now go.

Sir, about the growth of monopoly some of my hon. friends have given figures which are perhaps correct. We have to find out how this problem should be studied. We asked the Press Council to undertake this study of the growth of monopoly in the Press. The Press Council has come back with some of the difficulties. The Members of the Parliamentary committee also have pointed out that some more powers should be given to the Press Council to requisition and ask for account books of various papers so that they can decide whether monopoly exists or does not exist and carry the studies forward. Perhaps they need more staff for the purpose. I have assured the other House and I repeat it here that we intend giving those powers to the Press Council and also the staff that they need so that they can complete the study quickly and the Central Government could come to some conclusions soon.

AN HON. MEMBER: What about foreign money?

SHRI I. K. GUJRAL: I think I have covered all the points. About foreign money, it is something which is causing deep cvoncern to everybody including the Government because it is not a question from which source the money comes. If we get money it is coming to the Indian press and it is not a question of east or west or right or left. This is something which is a danger not only to the freedom of the press, but also to our freedom itself and we cannot permit it that foreign money should penetrate in the Indian press. I am told, the Home Ministry is carrying on some studies on this subject and I hope they will be able to come to some conclusions very soon. Not only that, Sir.

You will recall, at the time of my budget speech, I brought to the notice of the House the serious danger in this country which is faced by the embassy publications. The embassy publications are published with great speed and at the moment their total circulation has gone up to 12,71,295. Now, this 12 lakhs circulation may or may not look big. But when we try to compare it with the total circulation of all the Indian papers this comes to 20 per cent which I think is a very big thing and I don't think this country can afford to let any foreign mission go on publishing so many journals in such large numbers, and I am bringing it to the notice of the Minister of External Affairs to look into this. In the mean time we have introduced a separate chapter in the Registrar of Newspaper's Annual Report so that he keeps a watch on what embassies are doing here and how much they are publishing. I would like to bring to your notice what has been stated in the Regitrar's report. Out of 76 countries represented in India through diplomatic missions 24 publications and 103 periodicals were published in 1968 with a total circulation of 12,71,295 copies.

"Out of which 11,65,000 odd were shared by the USSR and USA embassies in India. The former had 46 journals with a circulation of 6,51,994 and the latter had 44 papers. and 14 papers of the latter had a circulation of 5,13,781".

17 hrs.

This, I think is a neck to neck race, which may or may not be healthy from their point of view, but surely is not in our interest. I am going to bring this to the notice of the External Affairs Ministry so that they could pay attention to this.

I can only say one thing that in the spirit of the Press Commission report we are very keen that the Press Council should be a strong instrument for the development, wrowth and building up of the press in this country and to that extent we shall do our best.

AN HON. MEMBER: Price-page schedule?

SHRI I. K. GUJRAL: You would recall that it was struck down by the Supreme Court some years ago. It has been represented to us that in the interest of the small and medium newspapers the price-page schedule should be brought back. We are given to understand that perhaps the Constitution will have to be amended. If the House supports us, naturally Government would be keen to reintroduce it. It is under our study at the moment.

SHRI RANDHIR SINGH: Any incentives to make the press rural-minded?

SHRI I. K. GUJRAL: So far as rural bias is concerned, I am in agreement with him because it is in the villages that our country is being made. Particularly after the green revolution it is not only important that the country should know what is happening in villages, but the villages should also get an opportunity to get acquainted with the latest technological growth everywhere in the world. I hope our newspapers become conscious of this requirement.

SHRI RANDHIR SINGH: Will he give them incentives?

SHRI I. K. GUJRAL: If incentives are called for, I will not be lagging behind.

MR. CHAIRMAN: We have now to take up another discussion. Shall we dispose of this and then start it or hold this over?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): There are amendments to this Bill and there will be third reading. That will take time.

MR. CHAIRMAN: Then the rest of the discussion will be taken up on Thursday.

17.04 hrs

DISCUSSION RE. ACTION AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): There should be more time allotted for this discussion. It is such an important matter. You have full powers to extend the time.

MR. CHAIRMAN: I do not think so.

SHRI M. L. SONDHI: ' Please consult your conscience.

SHRI NATH PAI (Rajapur): It may look imperitnent on my part to speak about the rule to so experienced a Chairman like you, but you are aware that it is up to the House to extend the time. The discussion which Shri S. M. Banerjee is raising is of great importance; it is not just a matter concerning the 1600 employees, of this socialist Government, but it concerns 2½ million employees, Therefore, we appeal to you to extend the time.

SHRI M. L. SONDHI: It is the unanimous demand of the House.

MR. CHAIRMAN: Let us now proceed.